Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

योग–शिक्षा का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

डॉ0 शशि सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा,
शिक्षाशास्त्र विभाग, गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज,
मुरादाबाद।

शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। शिक्षा प्राप्त करके ही मानव श्रेष्ठ बन सकता है। भारतीय दर्शनों में 'ज्ञान' शब्द वही अर्थ रखता है जो कि व्यापक अर्थों में शिक्षा का अर्थ होता है। ज्ञान तत्वों के मूल्यों को समझने में समर्थ बनाता है। भारतीय दर्शनों में केवल सूचना अथवा तत्वों के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं होता। अमर कोश में ज्ञान तथा विज्ञान शब्दों का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है कि ज्ञान का विषय मुक्ति है, जबकि विज्ञान का शिल्प और विविध शास्त्र। दूसरे शब्दों– में ज्ञान वह है, जो मनुष्य को उन्नत करता है, जबकि व्यावहारिक जीवन में प्रयोग के लिए जो कुछ जाना जाता है अथवा सीखा जाता है, वह विज्ञान कहलाता है।

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आज एक संक्रमण काल से गुज़र रही है। शिक्षा को आधार प्रदान करने वाले हमारे जीवन–मूल्य वर्तमान के सन्दर्भ में अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। लेकिन योग शिक्षा के माध्यम से इस स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है।[1]

योग–शिक्षा के अनुसार शिक्षित व्यक्ति चाहे जो भी कार्य करे, वह नैतिक जीवन का पालन करता है, स्वयं को सामाजिक हित के लिए समर्पित करके मानव सुख–शान्ति तथा आनन्द का अर्जन कर सकता है, जबकि तृष्णा, आकांक्षायें आदि स्वार्थगत प्रवृत्तियां केवल दुख का कारण बनती हैं।

योग–शिक्षा के अतिरिक्त अन्य भारतीय दर्शन, व्यक्तिगत उन्नति को जीवन का आधार मानते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा से भी अध्ययन प्रणाली व्यक्तिगत प्रवृत्ति की हो रही है। योग जीवन को अच्छी तरह समझने और उसे अच्छी तरह जीने की कला में पारंगत करता है। हमारे जीवन के सभी पक्षों और विकास के सभी आयामों को योग क्रियाएं सभी तरह से प्रभावित करती हैं, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, मूल्यों का विकास, धार्मिक विकास, सामाजिक विकास आदि आते हैं।

वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति अपने संक्रमण काल से गुज़र रही है। चारों ओर घोर अपराध, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती और बलात्कारी आदि अपराधों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आलोकित किया है। शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है। अनेकों विद्वानों ने शिक्षा को अलग–अलग रूप से परिभाषित किया है, जिससे सिद्ध होता है कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जिसमें व्यक्ति समाज और सभ्यता की रीढ़ बनता है और अच्छा नागरिक बनता है। किसी भी देश की

पहचान वहां की संस्कृति एवं सभ्यता से होती है और सभ्यता की पहचान वहां के मनुष्यों से होती है। मानव विकास की आधारशिला शिक्षा ही होती है, किन्तु मानव का गिरता स्तर और खतरे में पड़ती सभ्यता और संस्कृति का ज़िम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है यह वर्तमान समय की शिक्षा पद्धति। वर्तमान समय में बालक को मात्र मशीन बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण मानव वर्तमान समय में अपना अस्तित्व खोता जा रहा है।[2]

प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं आधुनिक शिक्षा पद्धति में बहुत अधिक भिन्नता है, जिसमें योग शिक्षा अपना विशेष योगदान रखती है। अगर वर्तमान समय में हम पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू करें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गिरते हुए स्तर को उठाया जा सकता है। योग शिक्षा के पश्चात् विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा, जिससे समाज और राष्ट्र का विकास अवश्य होगा।

आवश्यकता एवं महत्व :–

वर्तमान युग भौतिकवादी युग है और भौतिकवाद में धर्म, संस्कृति, मूल्य, विचारधारा आदि का कोई महत्व नहीं रहता है। उपर्युक्त अंग भौतिकवादी सभ्यता से प्रभावित होते जाते हैं। इस प्रभाव से मनुष्य में सामाजिकता, नैतिकता, धार्मिकता आदि का ह्रास हो रहा है। इसके लिए आंशिक रूप से शिक्षा भी कहीं दोषी पाई जाती है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा मानव के अन्दर दया, सहिष्णुता, साहसी चरित्र आदि विशेषताओं का समावेश करने में असमर्थ हो रही है। हमारी संस्कृति को बचाने व राष्ट्र को उचित दिशा प्रदान करने के लिए आज योगशिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि योगशिक्षा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक विकास आदि करती है।

आज पिसती, कराहती और दैनिक मानसिक परेशानियों से घिरी इस भौतिकवादी दुनिया को योग–शिक्षा के माध्यम से संजीवनी बूटी प्रदान की जा सकती है। विद्यार्थियों को शुरू से योग–शिक्षा अगर प्रदान की जाये, तो उनका आध्यात्मिक, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किया जा सकता है, और अपने देश को शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

भारतीय दर्शन में 'ज्ञान' शब्द वही अर्थ रखता है, जो कि व्यापक अर्थों में शिक्षा का होता है। ज्ञान, तत्वों के मूल्य को समझने में समर्थ बनाता है। भारतीय दर्शनों में केवल सूचना अथवा तथ्यों के लिए 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग नहीं होता।

शिक्षा विचारक महात्मा गांधी के अनुसार एवं प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी के अनुसार "शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो अनुभव, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, वे सभी शिक्षा के फलस्वरूप हैं।"[3]

हमारे प्राचीन ऋषि–मुनियों ने जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा है, इसमें प्रथम अवस्था छात्र–जीवन है। पढ़ना, लिखना, कला–कौशल सीखना, युद्ध–विद्या में निपुण होना, ज्ञान प्राप्त करना, अच्छे संस्कार अपनाना, इसी आयु में सम्भव होता है, क्योंकि इस अवस्था में मन निर्मल, बुद्धि तीव्र, मानसिक शक्ति एवं शरीर स्वस्थ होता है। अतः छात्र–जीवन मुख्यतः 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होता है। छात्र–जीवन मानव–जीवन का सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे महत्वपूर्ण काल है। जिस प्रकार विशाल भवन के निर्माण में नीव का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार मानव–निर्माण में छात्र–जीवन और राष्ट्र–निर्माण में बालक का महत्वपूर्ण स्थान है।

वैदिक काल में शिक्षा लेने वाला छात्र और शिक्षा देने वाला अध्यापक, दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। छात्र गुरू की सेवा करना अपना कर्त्तव्य एवं धर्म समझता था। छात्र सांसारिक सुखों को त्याग कर विद्याध्ययन में लगा रहता था। सदाचरण तथा निष्ठायुक्त व्यवहार छात्र के विशेष गुण थे। तप, निष्ठा, शान्ति, धैर्य, आलस्यहीनता, विद्वेषहीनता, लज्जाशीलता, विनम्रता, लोक व्यवहार

आदि गुण छात्र में पाये जाते थे।

प्रो0 ए0सी0 बोस ने छात्र के गुणों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है– छात्र श्रष्द्धा, विश्वास, योग्यता, ज्ञान की पूछताछ करने की क्षमता, ज्ञान के लिए प्रेम, मानसिक–बौद्धिक विकास की कल्पना वाला स्वस्थ मन, बुद्धि, आलस्यरहित सजग, स्वार्थरहित, ईमानदार, सद्पथगामी, सद्सम्पर्क वाला, धर्मपरायण, नियमानुपालक आज्ञाकारी होता है। श्रीमद्भगवतगीता के अनुसार छात्र संयमी, ब्रह्मचारी, रागद्वेषमुक्त हो, उसकी आत्मा उसके वश में हो, इन्द्रियलोलुप न हो, अहंकार रहित हो, इच्छाशक्ति हो, मनसा, वाचा, कर्मणा पवित्र हो, वह कभी अपने धर्म में गलती न करे अर्थात् स्वाध्याय में लगा रहे। अध्ययन एक यज्ञ–तप है और छात्र को उन्हें नित्य करना चाहिए। हितोपदेश में छात्र की गतिविधियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है–

काक चेष्टा, वको ध्यानम्, श्वाननिद्रा तथैव च
अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थि पंच लक्षणः

अर्थात् छात्र को कौवे के समान गतिविधि–कला, बगुले के समान ध्यान वाला और कुत्ते के समान नींद वाला, कम भोजन करने और घर त्यागने वाला होना चाहिए। प्राचीन काल में छात्र को विद्या अर्जन के लिए आचार्य के पास जाना पड़ता था। आचार्य दूर प्रकृति की गोद में रहा करते थे। हर समय शिक्षक एवं छात्र का साथ में आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का उदय होता था। जैन एवं बौद्ध काल में भी ब्रह्मचर्याश्रम को शिक्षण–काल के रूप में स्वीकार किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य– व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं रहता है तब तक हम किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर सकते। जिन लोगों का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहता वे जीवन की परिस्थितियों का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। वे एक प्रकार से मानसिक परेशानी में रहते हैं। इसका कारण दुर्बलता या किसी प्रकार का विकार होता है। आज व्यक्ति का जीवन और भी कठिन होता जा रहा है। उन्हें जीवन में पग–पग पर कठिनाईयों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक उलझनों के कारण वे समाज में अपने को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक है। मानव जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास तभी सम्भव है, जब बालक के शरीर और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि शरीर और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है।

लैडेल– "मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है–वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता।

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को, "मानसिक आरोग्य" नाम भी दिया गया है। मन को स्वस्थ एवं निरोग रखने वाला विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मन को स्वस्थ रखने के नियमों और उपयोग का अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास हो सके, ताकि व्यक्ति जीवन की सरल और कठिन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने में समर्थ हो।

मानसिक स्वास्थ्य–विज्ञान नियमों का समूह है, जो व्यक्ति को स्वस्थ तथा दूसरों के साथ शान्ति से रहने के योग्य बनाता है।

वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार "मानसिक स्वास्थ्य वह विज्ञान है, जिसके द्वारा हम मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखते हैं तथा पागलपन और स्नायु सम्बन्धी रोगों को पनपने से रोकते हैं, साधारण स्वास्थ्य विज्ञान में केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान दिया जाता है, परन्तु मानसिक

स्वास्थ्य–विज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य सम्भव नहीं है।"

मानसिक स्वास्थ्य–विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और उन्नति करना है, यह व्यक्ति में आशा, विश्वास, संवेगात्मक समायोजन आदि गुणों की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता है। यह विज्ञान ऐसे नियमों की खोज करता है, जिनके द्वारा मानसिक रोगों या विकारों को रोका जा सकता है। मानसिक रोगों के अन्तर्गत व्यक्तित्व की असामनताएं, मस्तिष्क की तरह–तरह की उलझनें तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यह विज्ञान इस मानसिक रोगों के रोकथाम तथा उपचार के उपाय बताता है।[4]

मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में अपने–आप को समायोजित नहीं कर पाता। उसमें संवेगात्मक अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक उलझनें, निराशा, व्यक्तित्व सम्बन्धी अव्यवस्था और असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि "मानसिक अव्यवस्था वह दशा है, जिसमें जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता है और संवेगात्मक असन्तुलन का शिकार हो जाता है। मानसिक अस्वस्थता विभिन्न प्रकार से मानसिक विकारों में दिखाई देती है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ जाने से अनेक प्रकार की व्याधियां या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति वातावरण के साथ भली–भांति समायोजन नहीं कर पाता या उसकी इच्छा नहीं उत्पन्न हो पाती और इनके परिणामस्वरूप जब व्यक्ति का व्यवहार असामाजिक, असन्तुलिन और दोषपूर्ण हो जाता है, तब उस व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे भग्नाशा, तनाव, संघर्ष, भावना, ग्रंथियां आदि।

वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त उपायों, जैस– अच्छी नागरिकता की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह, अच्छी आदतों का निर्माण, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, अच्छा वातावरण, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, अनुशासन, परिवार का वातावरण, अच्छी नागरिकता की शिक्षा आदि की आवश्यकता है।

आज हम देखते हैं कि मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम में योग–शिक्षा सबसे अधिक कारगर सिद्ध हो रही है। योग–शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभार रही है। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। प्राचीन शिक्षा पद्धति से लेकर वर्तमान शिक्षा पद्धति तक सभी विद्वानों ने शिक्षा में योग की आवश्यकता का अनुभव किया है। सभी विद्वानों ने एवं शिक्षाविदों ने बालक के सर्वांगीण विकास में योग की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया है। सभी दार्शनिकों ने भी विषयों के रूप में योग को प्रमुख स्थान दिया है।[5]

मनुष्य विचारशील प्राणी है, इसलिए चिन्तन और मनन करना उसका प्रधान लक्षण है। विचार और आचार, ये मानव–जीवन के दो पक्ष हैं। आचार नव–विचार से समन्वित होता है। जीवन में विवेक प्रकट होता है। विवेकपूर्ण आचरण में ही मानव जीवन की महत्ता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि सामान्य प्रवृत्तियां मनुष्य और पशु में समान ही होती हैं, किन्तु मनुष्य की विशेषता इसी में है कि उसके आचरण में विवक हो, विवेकशून्य मनुष्य पशु के समान है। विवेक ही मनुष्य को अपने लक्ष्य के विषय में सोचने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य विचार करता है कि वह कौन है? कहां से आया है? इस संसार में जीवन का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक इकाई होने के नाते वह समाज में रहता है। अतः उसके समक्ष यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि

वह समाज में दूसरे सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करे। 'गीता' में अर्जुन इसी समस्या को लेकर उपस्थित हुए थे कि युद्ध में प्रतिपक्षी के रूप में खड़े हुए स्वजनों के साथ कैसा व्यवहार करें।

अतः प्रत्येक देश में जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में अपना विशेष दृष्टिकोण होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु भी विचारों को प्रभावित करती है। उसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव व वासनाओं पर भी पड़ता है, जिसके फलस्वरूप देश की चिन्तनधारा एक नकारात्मक रूप ले रही है जिसको सही दिशा प्रदान करने के लिए योग–शिक्षा ही इसका विकल्प है। इस क्षेत्र में हुए अनेकों अनुसंधानों से स्पष्ट किया जा सकता है कि योग से शारीरिक तथा मानसिक उत्थान सम्भव है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि–

- शंकर (1995) ने योग शिक्षा को आधार मानकर प्राइमरी स्तर के बालकों के ऊपर अध्ययन किया और पाया–

1. योग अभ्यास करने वाले, अन्यों की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि में अग्रसर पाये गये।
2. अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सृजनशील पाये गये।
3. योग अभ्यास और शारीरिक अभ्यास वाले विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों अपेक्षा अध्ययन में रूचि वाले पाये गये।

- वकहारकर (1995) ने कक्षा 1 से 10 तक की कक्षा में योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया, और पाया कि–

1. शारीरिक विकास हुआ।
2. योग से बालकों का शारीरिक विकास होगा।
3. योग एवं शारीरिक शिक्षा से बालकों का आध्यात्मिक विकास होगा।
4. योग एवं शारीरिक शिक्षा से बालकों का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकता है।
5. योग एवं शारीरिक शिक्षा से बालकों का मानसिक विकास होगा।

- मनोज एवं शंकर (1965) शिक्षा में योग के निष्कर्ष–

1. शिक्षा में योग से विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।
2. विद्यार्थियों की सृजनात्मकता बढ़ती है।
3. विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि बढ़ती है।
4. विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता बढ़ेगी।
5. शैक्षिक उपलब्धि बढ़ती है।

- क्राइन (1998) ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष दिए–

1. प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों ही प्रभावशाली हैं।
2. प्राकृतिक चिकित्सा को भारतीय अधिक अपनाते हैं।
3. योग को पूरे विश्व ने अपनाया।

- कोर (1999) ने 250 विद्यार्थियों की वृद्धि और सृजनात्मकता का अध्ययन किया तथा पाया गया कि शारीरिक शिक्षा और योग अपनाने वाले बालकों की वृद्धि समान्य बालकों की अपेक्षा अच्छी और उच्च स्तर की थी। योग और शारीरिक शिक्षा अपनाने वाले बालकों का सष्जनात्मकता सामान्य बालकों की अपेक्षा उच्च थी।

- वर्मा एम. (2001) ने अध्ययन में योग अपनाने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन किया और पाया–

1. योग अपनाने वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय थे।
2. योग अपनाने वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक समायेाजन वाले थे।
3. योग अपनाने वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सन्तोषी थे।
4. योग अपनाने वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं।
5. ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पाये गये।
6. सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा सृजनात्मक थे।

- चक्रवती एस. (2003) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की गतिशीलता का अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष निकले–

1. शारीरिक शिक्षा गतिशीलता को प्रभावित करती है।
2. जो विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे अधिक क्रियाशील हैं।
3. जो विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वे बहुत अधिक बहिर्मुखी थे।
4. ये विद्यार्थी अधिक शक्तिशाली थे।
5. ये विद्यार्थी अधिक समायोजन करने वाले थे।
6. ये विद्यार्थी अधिक जागरूक थे।

- राजेन्द्र (2010) ने अरविन्द घोष के शिक्षा दर्शन तथा स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन किया, जो योग के सन्दर्भ में था। इसके निष्कर्ष निम्न थे–

1. अरविन्द घोष के शिक्षा दर्शन का मुख्य आधार योग है।
2. अरविन्द घोष ने मानव के विकास का आधार आन्तरिक बताया।
3. विवेकानन्द ने भी शारीरिक शिक्षा और योग को अधिक महत्व दिया, लेकिन अरविन्द घोष पूर्णरूप से योग को महत्व प्रदान करते हैं।
4. अष्टांग योग– यम, नियन, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि मानव के पूर्ण विकास के आधार हैं।
5. अष्टांग योग को पाठ्यक्रम में शामिल करके मानव जाति का पूर्णरूपेण विकास किया जा सकता है।

- पाल सुरेश (2015) ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के अन्तर्मुखी, आत्म विश्वास एवं समायोजन पर योग अभ्यास की प्रासंगिकता का अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये–

1. योग अभ्यास से आत्म विश्वास में वृद्धि होती है।
2. योग से व्यक्तित्व में सुधार होता है।
3. योग अभ्यास से चिन्ता दूर होती है।
4. योग अभ्यास से समायोजन करने में सरलता होती है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि योग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने को निरोग रख सकता है। योग द्वारा व्यक्ति में आत्मविश्वास का विकास होता है। छात्र–छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति अपनी इन्द्रियों में पूर्ण नियन्त्रण रख सकता है। योग सीखने वाले, अन्य व्यक्तियों से अधिक ऊर्जावान होते हैं। योग वाले व्यक्ति सकारात्मक विचाराधारा वाले पाये गये हैं। योग वाले व्यक्ति अपने घर, परिवार और समुदाय के प्रति अपने कर्त्तव्यों को समझने वाले पाये गये हैं। छात्र–छात्राओं का योग द्वारा सामाजिक विकास सम्भव हो पाता है। योग–शिक्षा द्वारा व्यक्ति अधिक सृजनशील होते हैं। योग–शिक्षा वाले छात्र–छात्राएं अधिक आध्यात्मिक होते हैं तथा अधिक संयमशील होते हैं।

: सन्दर्भ सूची :

1– कुमार, डॉ0 नरेश– "राष्ट्रीय शिक्षा" विक्रम प्रकाशन, नई दिल्ली, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी– योगासन विज्ञान, धीरेन्द्र योग प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ0–58

2– सत्यपाल– "वैज्ञानिक योगासन और स्वास्थ्य" किताबघर, दिल्ली, 1984, पृ0–104

3– स्वामी सत्यानंद सरस्वती "क्रियात्मक योग", विहार योग विद्यालय, मुंगेर, 1988, पृ0–42

4– शुक्ला, सी0एस0 एवं शैरी "स्वास्थ्य शिक्षा", विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ0–68

5– भगवानदेव आचार्य– "स्वास्थ्य और योगासन" नई दिल्ली, सुबोध पॉकेट बुक्स, 1985, पृ0–79

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

वीरेन्द्र सिंह, एम.फिल.
शोधार्थी- राजनीति विज्ञान
मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, चित्तोड़गढ़ (राजस्थान)

डॉ. जय कुमार सरोहा
एसोशिएट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान विभाग
एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद (उ.प्र.)

प्रस्तावना :- स्वतन्त्रता के बाद भारतीय राजनीति का रूप बदलना स्वाभाविक था। स्वतंत्रता में विविध विचारधाराओं के नेता एवं अनुयायी 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष करते रहे। गांधी जी का विरोध करते हुए कुछ नेताओं ने अपने नेतृत्व एवं विचार प्रस्थापित करने का भी प्रयास किया। मानवेन्द्र नाथ राय, सुभाषचन्द्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर इनमें प्रमुख थे। किन्तु सन् 1942 के आंदोलन के बाद भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में क्रांतिकारी मोड़ आया। गांधी जी का नेतृत्व पुनः प्रतिष्ठापित हुआ। उसके बाद भारतीय राजनीति का घटनाचक्र तेजी से घूमता गया। देश का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद अनेक प्रश्न खड़े हुए। रियासतों का विलीनीकरण हुआ। उत्तराधिकारी एवं संक्रमण काल में अंग्रज़ों ने कांग्रेस को सत्ता सौंप दी थी। किन्तु उसके बाद सत्ता से ही चिपके रहने तथा सत्ता को अपने हाथ में केन्द्रित करने की प्रवृत्ति कांग्रेस में उत्पन्न हुई। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सत्ता ही हमारी दरिद्रता, बेकारी, हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष आदि समस्याओं का मूल था- ऐसे बहुत सरल तर्क भारतीय नेता दिया करते थे। किन्तु वह अर्धसत्य था। वास्तव में प्रखर ब्रिटिश-विरोध ही हमारी तत्कालीन राष्ट्रभारती का एक मात्र सूत्र था। परिणामस्वरूप हमारे राजनीतिक नेतृत्व का ढंग ही कुछ निराला सा हो गया था। अंग्रज़ों के जाने के बाद जो राजनीति प्रारंभ हुई, उसमें पुनर्रचना, सामाजिक तथा आर्थिक विचारधारा, राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्न आदि के बारे में समुचित चिन्तन-मनन करके सुलझे हुए विचार तथा अपनी स्वतंत्र परिकल्पना रखने वाले राजनीतिक दल और नेता सामने आये। इनमें मुख्यतः कामरेड राय तथा स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने गैर कांग्रसी दलों के रूप में तीन स्वतंत्र विचारधाराओं का नेतृत्व किया था। समाजवादी दल, किसान-मज़दूर प्रजा पार्टी, और भारतीय जनसंघ आदि ऐस दल थे, जिनके पास भारत की पुनर्रचना के बारे में अपना स्वतंत्रत चिन्तन था।

शोध की प्रासंगिकता :-

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी देश की तरह से समर्पित थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को समाज-सेवा में लगाया। उन्होंने परिस्थिति से पराजित होकर सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ लिखना अपनी अल्पज्ञता का परिचय देना होगा। उनका पूरा जीवन शोध का विषय है, और उनके ऊपर गहन शोध की आवश्यकता है। अतः शोधार्थी ने लघु शोधालेख के माध्यम से "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन शीर्षक के अर्न्तगत

उनके राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करने का एक छोटा सा प्रयास किया है।"[१]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

26 जनवरी सन् 1950 ई. को भारत का संविधान लागू हुआ। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी जी के निमन्त्रण पर नेहरू मंत्रीमंडल में शमिल हुए थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुभव किया कि पं. जवाहर लाल नेहरू पाकिस्तान सरकार के प्रति ज़्यादा नरम रवैया रखे हुए हैं और उनमें पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में छूट गए हिन्दुओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का कोई साहस नहीं। नेहरू लियाकत समझौता निरर्थक था, क्योंकि इसमें भारत सरकार पर तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी डाली गयी थी, पर पाकिस्तान की ओर से ऐसे ही आचरण की कोई पहल नहीं की गई थी। इसी बीच पं. जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडलीय सहयोगी और धुरन्धर संसदवेत्ता डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का विरोध करते हुए सरकार से बाहर आ गये थे। वे देश भर में प्रयास कर एक उत्कट राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के गठन के सम्बंध में अनक जाने-माने लोगों से सम्पर्क-परामर्श कर रहे थे। इसी समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सर संघचालक श्री माध व सदाशिव राव गोलवलकर जी से मिले और संघ से कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं की मांग की। श्री गुरु जी ने बहुत सोच विचार कर केवल एक कार्यकर्ता दिया- पं. दीनदयाल उपाध्याय।[२]

पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :-

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने कालेज के दिनों में सन् 1937 में कानपुर में मकर संक्रांति के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिज्ञा ली और शाखा में ध्वज लगाने लगे। संघ में प्रवेश करने पर आपने संघ की विचारधारा, ध्येय और कार्यपद्धति का मनन-चिंतन किया और उसे श्रेष्ठ समझकर उसे जीवन में आत्मसात् करने का प्रयास किया। कानपुर में स्वयंसेवक रहते हुए आपने संघ के अधिकारी शिक्षण शिविर (O.T.C) में भाग लिया। उन दिनों यह 40 दिवसीय शिक्षण शिविर केवल नागपुर में ही लगता था। शिक्षण समाप्त करने के बाद जीवन में संघ की विचारधारा को पूर्णत: आत्मसात् कर लेने के कारण आपने देश-हितार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनना स्वीकार किया। उत्तर-प्रदेश के लखीमपुर जिले की एक तहसील में प्रचारक के रूप में सन् 1942 में आपकी नियुक्ति हुई। इनकी योग्यता, कुशलता एवं लोकप्रियता देखकर संघ के अधिकारियों ने उन्हें 1945 ई. में उत्तर-प्रदेश का सह-प्रान्त प्रचारक बनाकर उस प्रदेश का संघठन-भार उनके कन्धों पर लाद दिया। जब 1948 में कांग्रेस ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो राष्ट्रधर्म प्रकाशन के सभी अखबार सरकार ने बन्द कर दिए? किन्तु पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की कलम रुक न सकी। वे एक के बाद एक पत्र निकालते गये। 'पांचजन्य' बंद हुआ तो 'हिमालय', और 'हिमालय' बंद हुआ तो 'देश-भक्त' चल पड़ा। सरकार दीनदयाल जी की कलम को रोक न सकी।[३]

पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं भारतीय जनसंघ :-

भारत के शाश्वत चिरन्तन-मूल्यों व जीवनादर्शों पर आधारित और गौरवशाली राष्ट्रीय विरासत के वाहक दल का सूत्रपात करने हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने 21 सितम्बर सन् 1951 ई. को लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित कर "भारतीय जनसंघ" की स्थापना की। इसके एक माह बाद दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया और डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर सन् 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और पं. दीनदयाल उपाध्याय को अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त कर दिया गया। पं. दीनदयाल जी सन् 1951 से 1965 तक महामंत्री के रूप में भारतीय जनसंघ का मार्गदर्शन करते रहे। उनसे अनेक बार अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया गया, किन्तु पद, प्रतिष्ठा और आत्म-प्रचार से दूर रहने वाले दीनदयाल जी इसे अस्वीकार करते रहे। परन्तु दिसम्बर 1965 में बहुत दबाव के कारण उन्होंने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष

पद का कार्यभार संभाला। पं. दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ को एक नई दिशा-प्रेरणा दी। उनके राजनीतिक विचार आज भी मील का पत्थर साबित होते हैं।[4]

पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं राष्ट्रवादिताः-

राष्ट्र एक जीवमान इकाई है, वर्षों-शताब्दियों लंबे कालखंड में इसका विकास होता है। किसी निश्चित भू-भाग में निवास करने वाला मानव समुदाय जब उस भूमि के साथ तादात्म्य का अनुभव करने लगता है, जीवन के विशिष्ट गुणों को अर्जित करता हुआ समान परंपरा और महत्वाकांक्षाओं से युक्त होता है, सुख-दुःख की समान स्मृतियाँ और शत्रु-मित्र की समान अनुभूतियां प्राप्त कर परस्पर जिन संबंधों में ग्रथित होता है, संगठित होकर अपने श्रेष्ठ जीवन-मूल्यों की स्थापना के लिए सचेष्ट होता है, और इस परंपरा का निर्वाह करने वाले तथा उसे अधिकाधिक तेजस्वी बनाने के लिए महान तप, त्याग, परिश्रम करने वाले महापुरुषों की श्रृंखला निर्माण होती है, तब पृथ्वी के अन्य मानव समुदायों से भिन्न एक सांस्कृतिक जीवन प्रकट होता है। इस भावनात्मक स्वरूप को ही राष्ट्र कहा जाता है।[5]

राष्ट्र के लिए चार बातों की आवश्यकता होती है, प्रथम- भूमि और जन, जिसे देश कहते हैं, दूसरी- सबकी इच्छाशक्ति यानी सामूहिक जीवन का संकल्प, तीसरी- एक व्यवस्था, जिसे नियम का संविधान कह सकते हैं, और सबसे अच्छा शब्द जिसके लिए हमारे यहां प्रयुक्त हुआ है, वह 'धर्म' है, और चौथा- जीवन-आदर्श। इन चारों का समुच्चय यानी ऐसी समष्टि को राष्ट्र कहा जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए शरीर, मन बुद्धि और आत्मा ज़रूरी है, इन चारों को मिलाकर व्यक्ति बनता है, उसी प्रकार देश संकल्प, धर्म और आदर्श के समुच्चय से राष्ट्र बनता है।[6]

हमने किसी संप्रदाय या वर्ग की सेवा का नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया है। सभी देशवासी हमारे बांधव हैं। जब तक हम इन सभी बंधुओं को भारत माता के सपूत होने का सच्चा गौरव प्राप्त नहीं करा देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भारत माता को सही अर्थो में सुजलाम्, सुफलाम् बनाकर रहेंगे। वह दशा प्रहरण धारिणी दूर्गा बनकर असुरों का संहार करेगी, लक्ष्मी बनकर जन-जन को समृद्धि देगी और सरस्वती बनकर अज्ञानांध कष्ट को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। हिंदमहासागर और हिमालय से परिवेष्टित भारतखंड में जब तक एकरसता, कर्मठता, समानता, संपन्नता, ज्ञानवत्ता सुख और शांति की सप्त जाह्नवी का पुण्य प्रवाह नहीं ला पाते, हमारा भागीरथ तप पूरा नहीं होगा। इस प्रयास मे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी हमारे सहायक होंगे। विजय का विश्वास है, तपस्या का निश्चय लेकर चलें।[7]

हमारी राष्ट्रीयता- भारतमाता :-

हमारी राष्ट्रीयता का आधार 'भारत माता' है, केवल भारत नहीं। 'माता' शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा मात्र रह जायगा। इस भूमि की ओर हमारा महत्व तब आता है, जब माता वाला सम्बन्ध जुड़ता है। कोई भी भूमि तब तक देश नहीं कहला सकती, जब तक कि उसमें किसी जाति का मातृक ममत्व, यानी ऐसा ममत्व, जैसा पुत्र का माता के प्रति होता है, न हो। यही देशभक्ति है, तथापि देशभक्ति का मतलब जमीन के टुकड़े के साथ प्रेम होना मात्र नहीं है। कई पशु-पक्षी भी तो अपने घर से बहुत प्रेम करते हैं- सांप अपना बिल नहीं छोड़ता, शेर मांद में ही निवास करता है, पक्षी रात में अपनो घोंसले में लौट आते हैं, किन्तु ये देशभक्त हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मानव भी जहाँ रहता है, वहाँ से उसका कुछ न कुछ लगाव हो ही जाता है, फिर भी इतने मात्र से देशभक्ति नहीं आती। उन लोगों का प्रेम ही देशभक्ति कही जाएगी, जो देश में एक जन के नाते संबद्ध है। पुत्र रूप 'एक जन' और माता रूप 'भूमि' के मिलन से ही देश की सृष्टि होती है। यही देश भक्ति है, जो अमर है।[8]

एकात्म मानववाद :-

पं. दीनदयाल जी में समकालीन विचारधाराओं का भारतीय दृष्टिकोण से एक चिकित्सक की भांति

अध्ययन किया था। कुछ अपने निष्कर्ष निकाले थे, तथा उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वे एक समग्र जीवनदर्शन की खोज में थे। आगे चलकर उन्होंने वह जीवनदर्शन प्रस्तुत किया, जिसका नाम था 'एकात्म मानववाद'। किन्तु उसके पहले 1931 में समाजवाद, प्रजातंत्र तथा मानवतावाद विषय पर 'पांचजन्य' (2 जनवरी 1961) में इस वाद की चर्चा उन्होंने की थी। जनसंघ के अध्ययन शिविरों में इस वाद पर विचार रखने के अतिरिक्त उनहोंने एक बार डा. राम मनोहर लोहिया को भी समाजवाद पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। डॉ. लोहिया आये भी थे।

अपने आप को समाजवादी कहलाना आजकल एक फैशन बन गया है तथा राजनीतिक दलों में समाजवादी बनने की होड़-सी लगी है। यह बताकर दीनदयाल जी ने कहा था- "यूरोप में समाजवाद के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, सभी अपने आप को समाजवादी कहते थे। भारत में भी सब प्रकार के समाजवादी हैं। कुछ नेता यूरोपीय समाजवाद को भारतीय रूप देने की बात करते हैं। एम. एन. राम ने जीवन के अंतिम चरण में समाजवाद को त्यागकर क्रांतिकारी मानववाद को प्रचलित करने का प्रयास किया।"[९]

हमें मनुष्यत्व का सरंक्षण करना हो, तो उसे सबसे पहले यंत्र की दासता से मुक्त कराना होगा। आज मनुष्य यंत्रों पर शासन नहीं कर रहा, यंत्र उस पर शासन कर रहे हैं। यंत्रों के इस मोह के पीछे पड़ जाने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम बढ़ाने तथा तृप्त करने के लिए दौड़-धूप करता है। इसीलिए सम्पूर्ण मानव-जीवन का विचार करते समय हमें उत्पादन, वितरण तथा उपयोग- तीनों का एकत्रित विचार करना होगा। उत्पादन तथा उपभोग दोनों को, सार्थक जीवन जीते हुए प्राप्त कर सकें, ऐसी अर्थव्यवस्था हमें विकसित करनी होगी।[10]

हिन्दुत्व और मानवतावाद :-

"धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- चारों पुरुषार्थों पर आधारित हिन्दू जीवनदर्शन ही हमें वर्तमान संकट से उबार सकता है।" विश्व की समस्याओं का समाधान समाजवाद नहीं, हिन्दुत्ववाद है। हिन्दुत्व एक ऐसा जीवन-दर्शन है, जो जीवन का विचार सांचे में बंद ढंग से नहीं करता। इस जीवन-दर्शन को पुराने निष्प्राण कर्मकाण्ड के साथ जोड़कर हिन्दुत्व के बारे में संभ्रम नहीं करना चाहिए। हिन्दुत्व को वैज्ञानिक प्रगति के विरुद्ध मानना भी गलत है। निज्ञान तथा तंत्र विज्ञान का उपयोग हमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के अनुरूप रीति से करना चाहिए। हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सैद्धांतिक अग्र पंक्ति पर यंत्रवाद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए धर्मराज्य, प्रजातंत्र, सामाजिक समानता एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण हमारे ध्येय होने चाहिए। जो इन सबका समावेश करे, ऐसा 'वाद' हमें चाहिए। फिर उसे आप चाहे जो नाम दीजिए- हिन्दुत्वाद या मानवतावाद।[११]

पं. दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार :-

पाश्चात्य अर्थशास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन में देखने को मिलता है। अत: भारत के आर्थिक विकास का मार्ग सर्वथा भिन्न होना चाहिए। किन्तु हम लोग पश्चिम के अर्थशास्त्रियों- मार्क्स और मार्शल की अवधारणाओं में ऐसे जकड़ गये हैं कि उस परिधि के बाहर निकल ही नहीं पाते। हमारे अर्थशास्त्री पाश्चात्य अर्थ-सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं। वे स्वयं अपने भारतीय अर्थ सिद्धांत नहीं खोजते। गांधीवादी अर्थशास्त्र का विचार भी केवल आंदोलन के रूप में सामने आया। पश्चिमी अर्थव्यवस्था की बुरी बातों पर उन्होंने टिप्पणियाँ तो कीं, किंतु नयी भारतीय अर्थव्यवस्था वे दे नहीं सके।[१२]

भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कौन से लक्ष्य हों? इसका विवेचन करते हुए दीनदयाल जी ने कहा था- "हमारे देश को दीर्घ प्रयासों के बाद स्वतंत्रता मिली है। अत: इस राजनीतिक स्वतंत्रता को जो सुरक्षित रखे, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। यही हमारा प्रथम लक्ष्य है। दूसरी बात, हमारी जनतंत्रीय प्रणाली, जिससे संकट में पड़ जाये या जो उसके लिए बाधक सिद्ध हो, ऐसा आर्थिक नियोजन हम न करें। तीसरा लक्ष्य है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य

अपने राष्ट्रजीवन के लिए ही नहीं, हमारे संसार भर के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। अत: उनकी रक्षा करनी चाहिए। अपनी संस्कृति को खोकर हम आर्थिक समृद्धि लाते हैं, तो वह व्यर्थ सिद्ध होगी। चौथा लक्ष्य है- हमें सैनिक दृष्टि से आत्मरक्षा में समर्थ बनाने का होना चाहिए। पांचवां लक्ष्य- आर्थिक स्वावलंबी का हो। छठा लक्ष्य है- पंजातंत्र में वयस्क मताधिकार की भांति हर हाथ को काम देने वाली अर्थव्यवस्था। काम की भांति न्यूनतम वेतन, न्यायोचित प्राप्ति एवं उसका न्यायोचित वितरण भी सामाजिक हित के लिए आवश्यक होते हैं। संक्षेप में- संरक्षण, पूर्ण सेवायोजन (रोज़गार), मनुष्य की न्यूनतम अवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध, तथा विकेन्द्रीकरण ही जनसंघ की अर्थरचना का लक्ष्य है।"[१३]

पं. दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचार:-

पं. दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दल के बारे में कुछ निश्चित विचार थे। वे कहा करते थे कि "आज भारत में राजनीतिक दलों में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं। दल की दृष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस सबसे निचले स्तर का दल है। आज राजनीतिक दलों का संगठन किसी भी लक्ष्य को सामने रखकर नहीं किया जाता। वह एक व्यक्ति या गुट के आधार पर ही खड़ा होता है। केवल आदर्शवाद के होने से भी वह उपयोगी नहीं हो जाता। आदर्शवाद राष्ट्रहित के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। कम्युनिस्टों के पास आदर्शवाद है, किन्तु वह जनतंत्र के मूल पर आघात करने वाला है। अनुशासनबद्ध दल एवं निष्ठावान नेतृत्व की आज नितान्त आवश्यकता है। स्वतंत्र समाचार पत्र, स्वतंत्र न्याय-प्रणाली और स्वच्छ तथा कार्यकुशल प्रशासन सफल जनतंत्र के लिए आवश्यक हैं। जनतंत्र में एक से अधिक दल तो होंगे ही, किन्तु इन दलों को एक आचार-सहिता का या पंचशील का पालन करना चाहिए। दल-बदल को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तभी देश में स्थिर शासन आयेगा और अनुत्तरदायी राजनीति नहीं चलेगी।"[१४]

राजनीति में महिलाओं की सहयोगिता :-

पं. दीनदयाल उपाध्याय का विचार था कि राजनीति में पुरुषों की भांति महिलाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। देश की रचना में उनका भी सहयोग मिलना चाहिए। परिवार के लिए परिवार-प्रमुख के कन्धे से कन्धा मिलाकर कष्ट उठाने की भारतीय महिलाओं की परम्परा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वालों ने महिलाओं, उनकी समस्याओं तथा उनकी शक्ति का विचार नहीं किया गया, तो वह समाज के आधे भाग की उपेक्षा करने जैसा होगा। नवभारत की रचना में ऐसी उपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती। अत: उन्होंने जनसंघ का महिला मोर्चा स्थापित करने की ओर ध्यान दिया। जनसंघ के केवल रचनात्मक कार्यक्रमों में ही नहीं, अपितु आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में भी महिला मोर्चे का सहयोग बहुत बड़ा रहा है।[१५]

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जिस समय सम्पूर्ण विश्व पूंजीवाद और समाजवाद के पक्ष और विपक्ष में उलझा हुआ था, ऐसे समय में पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीयता को समाहित करते हुए एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों से मेल खाता था, जिसे एकात्म मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। पं. दीनदयाल उपाध्याय की चिंतन प्रणाली जहां मूलगामी थी, वहीं वह विश्लेषक एवं एकात्म भी थी। मानव-जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों अंगों का सुयोग्य पोषण करने वाली पद्धति वे विकसित करना चाहते थे। मूल्य-विचार, मूल्य-निष्ठा तथा मूल्यों को संजोये चलने वाली सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन-रचना दीनदयाल जी के विचारों का सार है। 20वीं शताब्दी में हम जिस वैश्वीकरण पर चर्चा करते हैं, उसकी संकल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** के रूप में मिलती है। इसी संकल्पना को आत्मसात् करते हुए पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवतावाद का जो दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया, वह आज भी पूर्णत: प्रासंगिक है।

-: सन्दर्भ सूची :-

1. भालचन्द्र कृष्णा जी केलकर- पं. दीनदयाल उपाध्याय - विचार दर्शन : खण्ड-3, राजनीतिक चिन्तन, सुरुचि प्रकाशन, केशवकुंज, झण्डेवालान, नई दिल्ली-2016, पृष्ठ-1, 2
2. हरीश चन्द्र पद्मिनी- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी समकालीन दृष्टि में, नौएडा न्यूज़ प्रा. लि.-48, श्रद्धानन्द मार्ग, दिल्ली-1998, पृष्ठ-4, 5
3. तनसुखराम गुप्त- पं. दीनदयाल उपाध्याय महासंस्थान, सूर्य भारती प्रकाशन-2596, नई सड़क, दिल्ली-2011, पृष्ठ-4, 13
4. सं. रामशंकर अग्निहोत्री- राष्ट्र जीवन की दिशा- पं. दीनदयाल उपाध्याय, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ-2008, पृष्ठ-37, 38
5. वही, पृष्ठ-94, 95
6. विश्वनाथ नारायण देवधर- पं. दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली-2014, पृष्ठ-115
7. वीरेश्वर द्विवेदी- संघनींव में विसर्जित द्वितीय पुष्प, लोकहित प्रकाशन, राजेन्द्रनगर, लखनऊ-1992, पृष्ठ-109, 110, 111
8. रामशंकर अग्निहोत्री- राष्ट्र जीवन की दिशा : पं. दीनदयाल उपाध्याय, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ-2008, पृष्ठ-49
9. भालचन्द्र कृष्णा जी केलकर- पं. दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, सुरुचि प्रकाशन, केशवकुंज, झण्डेवाला, नई दिल्ली-2016, पृष्ठ-67, 68
10. वही, पृष्ठ-69
11. वही, पृष्ठ-70
12. वही, पृष्ठ-72
13. वही, पृष्ठ-74, 75
14. समाचार पत्र- आर्गेनाइजर, 27 फरवरी-1961
15. भालचन्द्र कृष्णा जी केलकर- पं. दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, सुरुचि प्रकाशन, केशवकुंज, झण्डेवाला, नई दिल्ली-2016, पृष्ठ-93

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

आधुनिक बैकिंग में ऋण जोखिम

डॉ0 नरेन्द्र पाल सिंह
एसो0 प्रोफेसर– वाणिज्य विभाग
साहू जैन कॉलेज
नजीबाबाद (बिजनौर) उ0प्र0

डॉ0 शिवाली चौहान,
असि0 प्रो0 एवं अध्यक्षा– वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय
नजीबाबाद (बिजनौर) उ0प्र0

किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारतीय बैंकिंग भी शुरू से ही देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपना सक्रिय योगदान देते रहे हैं। भारत में उपलब्ध अनन्त सम्भावनाओं का दोहन करने के लिए सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थायें तीव्रता से अनेकानेक योजनायें लेकर बाजार में आ रही हैं। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत प्रदत्त ऋणों पर ब्याज कमाना है, जो कि आज सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा एवं जोखिम वाला क्षेत्र बन गया है। वैसे तो प्रत्येक व्यवसाय में अनिश्चिततायें होती हैं, जो कभी लाभ तो कभी हानि में परिणत हो जाती हैं। वस्तुतः जोखिम हर व्यवसाय में अन्तर्निहित होता हैं, क्योंकि जोखिम को पृथक् करना सर्वथा कठिन होगा, क्योंकि बैंकिंग जोखिम पर ही आधारित है। आज बैंकिंग का जो स्वरूप है, वह परम्परागत बैंकिंग से काफी भिन्न है। बदला हुआ बैंकिंग परिदृश्य भौगोलिक दृष्टि से सीमित बैकिंग को समाप्त कर चुका है और शाखा रहित बैकिंग, बैंक रहित बैंकिंग, कागज रहित बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग आदि का युग आ गया है।[1]

बैंक मूलतः जनता से स्वीकार की गयी जमाओं को ऋणों एवं निवेशों में निवेश करते हैं। अतः ऋण जोखिम बैंकिंग व्यवसाय की प्रमुख जोखिम है। किसी ऋण या प्रतिपक्ष द्वारा उनके दायित्वों को पूरा न करने के कारण उत्पन्न जोखिम को ऋण जोखिम कहते हैं। ऋण की समय पर अदायगी न होना ऋण जोखिम कहा जाता है। यह सम्भावना कि बैंककर्मी, ग्राहक, समय पर तय शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं कर पायेगा, ऋण जोखिम कहलाती है। ऋण जोखिम के अन्तर्गत ऋणी ग्राहक द्वारा भुगतान में की जाने वाली चूक के अलावा ग्राहक की साख रेटिंग में होने वाली गिरावट को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ग्राहक की साख में होने वाली कोई भी गिरावट भविष्य में ऋण के भुगतान में चूक का संकेत हो सकती है। ऋण जोखिम बैंकिंग व्यवसाय में सर्वाधिक पैमाने पर व्याप्त और सबसे प्रभावी जोखिम है, जो कि बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। किसी भी ऋण सुविधा को स्वीकृत करने से पहले बैंक ग्राहक की सदाशयता, साख शोधन क्षमता, वांछित ऋण राशि, उद्देश्य, प्रस्तावित परियोजना की सम्भावनायें आदि का सन्तुष्टिपूर्वक गहन आकलन करता है। इसके बाद ही ऋण स्वीकृति की विभिन्न शर्तों, जैसे पुनर्भुगतान अवधि

ा, किस्तों की अवधि, संख्या व राशि, ब्याज दर, प्राथमिकता एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति व गारन्टर आदि पर विचार करता है। बैंक ऋण स्वीकृति के समय यह भी तय करता है कि ऋण का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया है। यही कारण है कि ऋण की राशि का ऋणी को, बैंक द्वारा नकद भुगतान नहीं किया जाता। ऋण की चुकौती समय पर नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए बैंक ऋण खातों की निगरानी भी करता है। इन सबके बावजूद बैंक समस्त राशि वसूल करने में सफल नहीं हो पाते और ऋण जोखिम बनी रहती है।[2]

ऋण–जोखिम प्रबन्धन :

बैंकों में ऋण–जोखिम की पहचान करना तथा उसका प्रबन्ध करना आज एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। बैंकों में ऋण प्रदान करना जितना सरल है, उसकी वसूली करना उतना ही कठिन कार्य है। बैंकों द्वारा ऋण जोखिम प्रबन्धन के निर्धारण हेतु निम्न महत्वपूर्ण बातों को लागू करने पर लगातार जोर दिया जाना चाहिए।

➢ बैंकों में ऋण जोखिम हेतु उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए, जिसमें बैंक में लागू ऋण जोखिम नीति की बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा वर्ष में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए और स्वीकृत की गयी ऋण जोखिम नीति को लागू करने की जिम्मेदारी बैंक के उच्च प्रबन्धन वर्ग पर डाली जानी चाहिए। इस जिम्मेदारी में ऋण जोखिम को पहचानने, मापने, निगरानी रखने एवं नियन्त्रण हेतु नयी प्रणाली एवं प्रक्रिया को विकसित किया जाना चाहिए। बैंकों को अपने ऋण सम्बन्धी समस्त उत्पादों एवं कार्यों में जोखिम की पहचान करके उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित नयी प्रणाली विकसित करनी चाहिए तथा नये उत्पादों को लागू करने से पूर्व जोखिम सम्बन्धी विचार कर लेना चाहिए।[3]

➢ ऋण प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया में लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ ही ऋणदाता को समझने, ऋण प्रदान करने के उद्देश्य, ऋण की संरचना एवं ऋण अदायगी आदि बातें भी शामिल की जानी चाहिए, साथ ही ऋणदाता को प्रदत्त कुल ऋण की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। बैंकों में नये ऋण स्वीकृत करने एवं ऋणों का नवीनीकरण अथवा ऋण सम्बन्धी प्रस्तावों में संशोधन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। पुराने ऋणदाताओं की ऋण सीमा में वृद्धि के प्रस्तावों पर निर्णय बहुत गहन अध्ययन के बाद किया जाना चाहिए।

➢ ऋण प्रशासन एवं निगरानी आदि के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। बैंकों द्वारा प्रति खातेदार और ऋण प्रदान करने सम्बन्धी विभिन्न शर्तों के पालन हेतु उचित निगरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। बैंकों द्वारा आन्तरिक जोखिम निर्धारण हेतु उचित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि ऋण जोखिम का उचित प्रबन्धन सम्भव हो सके। ऋण जोखिम को मापने हेतु सूचना विश्लेषण की उचित तकनीकी को लागू किया जाना चाहिए, जिससे ऋण के विभिन्न विभागों एवं उनके जोखिम के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहे। कारपोरेट ऋण प्रदान करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि भविष्य में अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलावों का बैंक के ऋण विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।[4]

➢ ऋण जोखिम पर उचित नियन्त्रण रखने हेतु बैंकों द्वारा एक स्वतन्त्र ऋण जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से ऋण जोखिम का लगातार निर्धारण कर, बैंक के शीर्ष प्रबन्धन एवं निदेशक मण्डल को अवगत कराया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋणों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्य का प्रबन्धन भी उचित तरीके से सीमाओं के अन्दर ही हो रहा है और किसी भी स्थिति में इनके उल्लघंन की सूचना उच्च प्रबन्धन को समय पर दी जा रही है। ऋणों की गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए समुचित उपाय किये

जाने चाहिए।

➢ बैंकों में ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी एवं नियन्त्रण एक प्रभावी जोखिम प्रबन्धन प्रणाली में पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यवेक्षकों द्वारा बैंकों की ऋण प्रदान करने सम्बन्धी कौशल प्रणालियों, प्रक्रिया, नीति एवं कार्य प्रणाली तथा ऋण संविभाग के लगातार प्रबन्धन का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, साथ ही प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए ताकि बैंक उसका पालन कर सके।

ऋण–प्रबन्धन प्रक्रिया :

बैंक द्वारा किसी भी ऋण खाते के स्वीकृति पूर्व सूक्ष्म ऋण मूल्याकंन एवं स्वीकृति पश्चात् सघन निगरानी के उपरान्त भी ऋण खातों का खराब होना, व्यवसाय का अपवाद नहीं वरन व्यावसायिक संयोग है। ऋणों के डूबने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे, व्यवसायी की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रबन्धकीय अकुशलता, त्रुटिपूर्ण पूर्वानुमान तथा परिस्थितियों में अनपेक्षित बदलाव आदि। इसका कारण ऋणग्राही के नियन्त्रण के बाहर हो सकता है या वह जानबूझकर चूककर्ता भी हो सकता है। किन्तु इसका सीधा प्रभाव बैंक पर ही पड़ता है। बैंकों में लागू सुधारात्मक उपायों से स्थिति में कुछ बदलाव अवश्य आया है लेकिन सुधार की अभी भी बहुत गुंजाइश है। बैंकों में ऋण जोखिम को कम करने के लिए कार्य–अपेक्षायें निम्न हो सकती हैं–

➢ हिताधिकारी का चयन करते समय सही, ईमानदारी, कुशल एवं कार्यरत तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति का ही बैंक–ऋण हेतु चयन किया जाना चाहिए। केवल लक्ष्य आधारित कार्य निपटान एवं दृष्टिकोण से सम्बद्ध न रहकर किसी भी प्रकार तथा स्तर के दबावों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऋण प्रस्तावों का उचित एवं पर्याप्त मूल्याकंन कर ही ऋणों की स्वीकृति की जानी चाहिए।[5]

➢ ऋण प्रलेखन सही, समय पर तथा पूर्ण होने चाहिए और ऋणी को समझ में आने वाली क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाने चाहिए, ताकि ऋण प्राप्तकर्ता उन पर हस्ताक्षर करते समय उनको पढ़कर और समझकर ही हस्ताक्षर करे।

➢ ऋण संवितरण सम्बन्धित व वर्णित गतिविधि के लिये ही किया जाना चाहिये और ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा भी ऋण का प्रयोग समुचित रूप से सम्बन्धित क्षेत्र में ही किया जाना चाहिये, ताकि उसका दुरुपयोग न होने पाये।

➢ ऋण खातों में प्रभावपूर्ण अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिये तथा ऋणी से निरन्तर सम्पर्क, आवधिक विश्लेषण, यथेष्ट प्रयासों की रुपरेखा, परिणामों का अध्ययन और ऋण से सम्बन्धित अद्यतन सूचनाओं का प्रेषण किया जाना चाहिये।

➢ ऋण की स्वीकृति के पश्चात् समुचित पर्यवेक्षण व नियन्त्रण किया जाना चाहिये, ताकि ऋण जोखिम को घटाया जा सके।

➢ ऋणी द्वारा ऋण चुकौती में जान बूझकर चूक की जा सकती है, क्योंकि वह अन्य ऋणियों को देखकर ऐसा कर सकते हैं। अतः उनकी मानसिकता एवं अपेक्षाओं में बदलाव लाया जाना चाहिये।

ऋण विभाग में सतर्कता :

किसी भी बैंक का लाभ उसके द्वारा प्रदत्त ऋणों के ऊपर निर्भर करता है। बैंक, ग्राहकों से जमा तो कम ब्याज दर पर प्राप्त करता है और उसी राशि से अधिक ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। किन्तु इसके साथ–साथ जोखिम भी उठाता है। उसी का परिणाम उसे लाभ के रूप में प्राप्त होता है। सभी बैंक अनेक ऋण उत्पादों के माध्यम से ऋण स्वीकृत करते हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर उनका विकास करना होता है। बैंक जब ग्राहकों को ऋण स्वीकृत करता है, तो उनके विगत वर्षों के रिकार्ड पर ही ध्यान देता है, जबकि

उनके भविष्य पर विचार नहीं करता। अतः बैंक द्वारा भविष्य के आकलन को भी दृष्टिगत रखना चाहिये। बाजार में हो रहे उतार–चढ़ाव की जोखिम को देखते हुए बैंकों को चाहिये कि ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये गहन छानबीन के बाद ही ऋण स्वीकृत किये जायें। बैंक ऋण स्वीकृत करते समय यदि सतर्कता बरते, तो अतिरिक्त जोखिम से बचा जा सकता है, जिसके लिये निम्न बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए–

➢ बैंक द्वारा अधिकतम ऋण अपने पुराने ग्राहकों को ही स्वीकृत किये जायें, पुराने ग्राहकों के खाता परिचालन से संतुष्ट होकर ही उन्हें ऋण प्रदान किये जायें।

➢ जिन ग्राहकों को ऋण स्वीकृत किया जाए, उनके पैन नम्बर, यदि व्यापारी है तो टैन नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करनी चाहिए, यही बात खातों में जमानती के लिए भी लागू की जानी चाहिए, साथ ही केवाईसी की औपचारिकता के लिए भी प्रमाणित प्रपत्र प्राप्त करने चाहिए।

➢ ऋण स्वीकृति के समय ऋण प्राप्तकर्ता के उद्देश्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके पुराने ऋण खाते, अनुभव, भावी योजना, व्यापारिक परिस्थितियाँ, सरकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, आय–व्यय की रूपरेखा, आधारभूत सुविधायें आदि का भलीभाँति अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। आयात एवं निर्यात करने वाले व्यापारियों को ऋण स्वीकृति के समय उनके लाइसेंस आदि की पूर्ण जांच की जानी चाहिए।

➢ यदि ऋण प्राप्तकर्ता आयकरदाता है, तो उसके पिछले दो वर्षों के आयकर निर्धारण सम्बन्धी प्रपत्र अवश्य प्राप्त करने चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता वेतन बहुली है, तो उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए पिछले महीने की वेतन पर्ची प्राप्त कर, उसके नियोक्ता से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

➢ ऋण खातों में गारन्टी करने वालों को ऋण का उद्देश्य अच्छी तरह समझा देना चाहिए और यदि ऋण के प्रति सम्पार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक हो, तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, साथ ही यह भी भलीभाँति बता देना चाहिए कि ऋण की अदायगी न होने पर क्या कार्रवाई की जायेगी।

➢ ऋण स्वीकृति के समय ऋण से सम्बन्धित सभी प्रलेख पूर्ण रूप से भरकर उन पर ऋणी एवं गारन्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराये जायें, इसमें कोई ढील न बरती जाये, साथ ही प्रयुक्त प्रलेखों, जैसे– स्टाम्प पेपर, व्यापारिक संस्था के नियमों की प्रति, कोरी हस्ताक्षरयुक्त चैक बुक, गारण्टी के रूप में जमा सावधि जमायें, सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज, सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का लेखा ऋणी से सम्बन्धित लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

➢ स्वीकृत ऋण के प्रति बन्धक एवं ग्रहणाधिकार में रखी गयी सम्पत्ति की स्थिति में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, बैंक के ताले अथवा चौकीदार लगाये जाने चाहिए और सम्पत्ति के ऊपर बैंक का नाम एवं (बैंक द्वारा पोषित) लिखकर पट्टिका भी लगायी जानी चाहिए।

➢ यदि ऋण प्राप्तकर्ता वेतनभोगी है, तो उसके नियोक्ता को ऋण स्वीकृति की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए और उसके नियोक्ता से नियमानुसार ऋण चुकाने का पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए, साथ ही प्राप्त पोस्टडेटेड चैक को भी समय से डेबिट करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

➢ प्रत्येक ऋण खाते की वांछित खाता विवरणी वर्ष के अन्त में खातेदार को भेजी जानी चाहिए। समय से ऋण एवं ब्याज की वसूली हेतु प्रतिमाह किस्त का निर्धारण किया जाना चाहिए और ऋणी को समय–समय पर ऋण भुगतान हेतु इस बात को याद दिला देना चाहिए कि समय से ऋण भुतान करने पर उन्हें अनेक फायदे प्राप्त होंगे।

➢ यदि ऋण प्राप्तकर्ता ऋण अदायगी में

जानबूझकर चूक करे तो उसके आवास पर जाकर उससे व्यक्तिगत रूप से भेंट की जानी चाहिए और उसके मस्तिष्क में उत्पन्न गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए, साथ ही परिवार के सदस्यों से भी ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में बात करनी चाहिए।

➢ यदि ऋण प्राप्तकर्ता की आर्थिक स्थिति प्रतिकूल हो जाय और उसे ऋण की किस्तें जमा करने में वास्तव में कठिनाई हो, तो ऐसी स्थिति में ऋणी के साथ सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और ऋण खाते में किस्तों का पुनर्निर्धारण अनुमत किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऋण की वसूली आसानी से हो सके।

ऋण–जोखिम से निपटने के लिए रणनीति :

बैंकिंग सुधारों के लागू होने के बाद से ही ऋणों की गुणवत्ता और लाभप्रदता पर अधिक जोर दिया गया है। प्रबन्धन की सार्थकता तभी है, जब वास्तविक चूक होने से पूर्व ऋण की गुणवत्ता में ह्रास को रोका जा सके और समायोचित कार्रवाई की जा सके।[6] प्रबन्धक व अधिकारियों द्वारा ऋणी को यह अच्छी तरह बता देना चाहिए कि उसे सही समय पर अपना ऋण चुकाना है, ताकि दूसरे अन्य लोगों को भी पैसा बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक लोगों का आर्थिक विकास सम्भव हो सके।[7] प्रबन्धक द्वारा सही ऋण प्राप्तकर्ता का चुनाव, उचित क्रियाविधि, समुचित वित्त, सही समय पर संवितरण, दी गयी राशि के पूर्ण व सही उपयोग पर निगरानी तथा सही समय पर भुगतान आदि के लिए ऋण जोखिम से निपटने के लिए रणनीति बनानी होगी, जिसके लिए प्रमुख बातें निम्न हो सकती हैं–

➢ बैंक ऋण का वितरण, आरम्भिक जांच के बाद, सही व ईमानदारी, हिताधिकारी को ही करने की प्राथमिकता दी जाए।

➢ ऋण स्वीकृति के समय ऋणी के बारे में वांछित व पुष्ट सूचनायें एकत्रित की जायें, जिनकी पुष्टि प्रलेखनीय साक्ष्य या उसके आस–पास रहने वाले उनके जानकारी के लोगों से सुनिश्चित की जाय।

➢ ऋण स्वीकृति के समय सही प्राप्तकर्ता का चयन करने के उपरान्त ऋण देने में देरी नहीं करनी चाहिए, जिससे वह आसानी से ऋण की वापसी भी करता रहे।

➢ बैंक द्वारा ऋण देने के दस्तावेज सरल व सटीक तथा कानूनी रूप से पूर्ण बनाने चाहिए, ताकि ऋण–वसूली के समय आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

➢ ऋण जोखिम को कम करने के लिए अच्छा होगा, यदि ऋण देने में स्टाफ, परिचित अथवा पुराने ग्राहकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय।

➢ बैंक द्वारा ऋण मूल्यांकन में ऋणी के दबाव या पर्याप्त समय के अभाव के कारण गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए।

➢ यदि बैंक द्वारा अपने हित को ध्यान में रखते हुए ऋण की स्वीकृति कम एवं अपर्याप्त मात्रा में की जाती है, तो उसका भविष्य में बैंक वसूली पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब ऋणी का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, तो ऋण वापसी की जोखिम बढ़ जाती है।

➢ बैंकों को ऋणी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील एवं लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि नियमों के कड़ाई से पालन करने के कारण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है।

➢ बैंकों को चाहिए कि आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते नियम एवं कानून को ताक में रखकर ऋणों की स्वीकृति न करें और अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी न करें।

➢ बैंकों द्वारा ऋणी के बारे में बाजार से सूचना प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बाजार में ऋणी के क्रियाकलापों से काफी संकेत मिलते हैं, जिन्हें बैंक को बड़ी सावधानी से समझना चाहिए।

➢ बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता को शाखा स्तर पर, समय–समय पर अनुस्मारक पत्र भेजना चाहिए और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सम्पर्क करना

चाहिए तथा बैंक प्रबन्धन को ऋणी से व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखना चाहिए।

➢ बैंक द्वारा शाखा स्तर पर ऋणी की प्रतिभूतियों के प्रति सजग रहना चाहिए और यदि खाता अनियमित होता दिखायी दे, तो प्रतिभूतियों के प्रति सुरक्षा एवं जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।

➢ ऋणी को समय–समय पर ऋण खाते की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए और उनकी सोच को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

➢ बैंक द्वारा शाखा स्तर पर ऋण वसूली के लिए कार्यसमिति बनायी जानी चाहिए, जो गहन वसूली प्रयासों, वर्तमान स्थिति, भावी कार्यनीति पर विचार–विमर्श कर सके।

➢ बैंक द्वारा ऋण वसूली कैम्पों का आयोजन समय–समय पर किया जाना चाहिए और उसमें ऋण भुगतान में चूक करने वाले ऋणियों की सूची तैयार कर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

➢ बैंकों द्वारा यदि ऋण जोखिम बढ़ती दिखाई दे तो विधिक कार्रवाई, लोक अदालत एवं समझौता प्रस्ताव को अन्तिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

आज बैंकों के समक्ष ऋण प्रबन्धन एक गम्भीर चुनौती के रूप में है। ऋण का प्रबन्धन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें संगठित प्रयास द्वारा उचित समन्वय व नियन्त्रण के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। चुनौती भरे समय में बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए यह बात अत्यन्त आवश्यक हो गयी है कि बैंक, दिये जा रहे ऋणों की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने का प्रयास करें और ऋण जोखिम को न्यूनतम रखें। ऋणों के बेहतर प्रबन्धन, व्यवस्था परिवर्तन और स्टाफ के आपसी सहयोग व सद्भाव तथा दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा उचित समन्वय बनाकर ऋण जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैंकों में ऋण जोखिम होना एक आम बात है, बस आवश्यकता इस बात की है कि सही समय पर ऋण जोखिम की पहचान की जाय, उससे होने वाले नुकसान से बैंक को बचाया जाय। साथ ही बैंक में ऋण जोखिम हेतु एक बजट निर्धारित किया जाए और ऋण जोखिम को उससे आगे न बढ़ने दिया जाए। इससे ऋण जोखिम वहन करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी तथा ऋण जोखिम पर निगरानी भी रखी जा सकेगी।

–: संदर्भ सूची :–

1. लक्ष्मी देवी के.वी., ऋण जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई, अक्टूबर–दिसम्बर, 2015, पृ0 संख्या – 32–35
2. पटेल सुधीश कुमार, भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में जोखिम प्रबधंन योजना, 538, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, फरवरी 2010, पृष्ठ संख्या 34–36
3. पंवार संजीव, सिंह नरेन्द्रपाल, भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबन्धन प्रणाली की आवश्यकता, कविताजंलि, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर, उ0प्र0, अगस्त 2013, पृष्ठ संख्या 73–78।
4. कुमार सौरभ, भारत में कृषि ऋण की चुनौतियाँ, कुरुक्षेत्र, कमरा नं0 655, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, नवम्बर 2014, पृष्ठ संख्या 30–33
5. पंत जे0सी0, मिश्रा जे0पी0, भारतीय आर्थिक समस्यायें, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स : आगरा, 2012, पृष्ठ संख्या 134
6. गुप्ता सी.बी., बैंक प्रबन्ध के सिद्धान्त, सुल्तान चन्द एण्ड संस, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या 4.30
7. चौहान के. आर, खुदरा ऋणों में धोखाधड़ी एवं बढ़ते हुए एनपीए की रोकथाम के लिए निवारक सतर्कता मानदंड, बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई, जुलाई–सितम्बर, 2015, पृष्ठ संख्या 39–43

– www.rbi.org.in/hindi

– www.publicationsdivision.nic.in

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

चीनी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक विश्ले□ाण

डॉ0 अंकुर अग्रवाल
असि0 प्रोफेसर– वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय
नजीबाबाद, (बिजनौर) उ0प्र0–246763

डॉ0 निलेश कुमार जैन
एसो0 प्रोफेसर एवं अध्यक्ष– वाणिज्य विभाग
वर्धमान (पी0जी0) कॉलेज,
बिजनौर, उ0प्र0–246701

सारांश

पूरे विश्व में श्रम का बड़ा महत्त्व है। श्रमिक को उचित सम्मान और समुचित पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि श्रमिक विधि ने सृजनात्मक क्रान्ति ला दी है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक अधिनियम तथा नियम बनाए गए हैं। बंधुआ मजदूरों की समस्या तो बहुत हद तक काबू में करने में सफलता मिल गई है, लेकिन आज के दिन भी बाल–श्रमिकों की समस्या का कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकल पाया है। परिणामस्वरूप उनका शोषण अब भी हो रहा है। इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाये जाने की सख्त आवश्यकता है। सरकार के लिए भी मजदूरी की समस्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के सभी वर्गों के लिए न्याय का मापदण्ड है। मजदूरी की समस्या का महत्व इस तथ्य से भी है कि अधिकतर कारखानों में अगणित मजदूरी की दरें एवं अवैज्ञानिक अन्तर पाये जाते हैं तथा विभिन्न मजदूरी की दरों में अन्तर, निर्धारित करने हेतु किसी भी योजना का अभाव है। विभिन्न उद्योगों में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं तथा विभिन्न प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। इन बातों ने मजदूरी के समानीकरण की समस्या को अधिक जटिल कर दिया है। ये अन्तर एक उद्योग से दूसरे उद्योग में श्रमिक प्रवासित का कारण हो जाते हैं और कभी–कभी औद्योगिक अशांति और झगड़ों का कारण बन जाते हैं, क्योंकि कम मजदूरी देने वाले उद्योगों के श्रमिक अधिक मजदूरी मांगते हैं, जो अन्य उद्योगों में पायी जाती हैं। समस्या का समाधान आर्थिक ही नहीं, वरन् सामाजिक दृष्टिकोण से भी होना चाहिए, जिससे समाज में आय और धन की असमानता में कमी हो। इसलिए मजदूरी की समस्या महत्त्वपूर्ण तथा गूढ़ है, और इसका शीघ्र समाधान होना ही चाहिए।

प्रस्तावना :

समाज मनुष्य का दर्पण है। इस दर्पण रूपी समाज में ही मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा की परछाईं देख सकता है। भारतीय परिवेश में किसी भी व्यक्ति विशेष के सामाजिक स्तर का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन कार्य है। गहनता से विचार करें, तो विदित होता है कि 'सामाजिक' एक तुलनात्मक शब्द है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, उस समाज में उसका दूसरों की तुलना में कितना आदर किया जाता है तथा उसकी बात को कितना महत्त्व दिया जाता है, उसके निर्णय के प्रति समाज में कितनी आस्था प्रकट की जाती है– इन सब बातों के आधार पर ही उस मनुष्य के सामाजिक

स्तर का निर्धारण किया जाता है। परन्तु वर्तमान औद्योगिक एवं भौतिकवादी युग में 'आर्थिक सम्पन्नता' ही सामाजिक स्तर के निर्धारण का मापदण्ड है। समाज में जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से सम्पन्न है, भले ही वह किसी भी जाति व धर्म का हो, उसकी आय का स्रोत कुछ भी रहा हो, समाज में उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वर्तमान मौद्रिक युग में व्यक्ति के साधन पर नहीं, बल्कि उसके साध्य पर बल दिया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के आर्थिक स्तर के आधार पर ही समाज में उसके सामाजिक स्तर का निर्धारण होता है। अतः आर्थिक स्तर व सामाजिक स्तर में उच्च श्रेणी का गुण–साहचर्य पाया जाता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुसंधित्सु ने सन् 2011 तक के आधार पर सम्बन्धित उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का आर्थिक व सामाजिक विश्लेषण किया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. चीनी उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं का सर्वेक्षण करना।
2. चीनी उद्योगो में कार्यरत श्रमिको का सामाजिक समस्याओं का सर्वेक्षण करना।

आर्थिक विश्लेषण :

जब हम आर्थिक विष्लेशण से संदर्भ ग्रहण करते हैं तब विदित होता है कि – इस विष्लेशण में उन सभी अवयवों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुश्य के जीवन–स्तर को प्रभावित करते हैं। यथा– रोजगार, आय, रहन–सहन का स्तर इत्यादि। प्रस्तुत विष्लेशण में इन चरों को दो प्रकार से सम्मिलित किया गया है। (अ) मण्डल स्तर पर (ब) चुनी गई मिलों के स्तर पर

मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का वर्गीकरण –

मुरादाबाद मण्डल चार जनपदों यथा – मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर) व बिजनौर का संलय है। जनपदवार चीनी मिलों में रोजगार व आय के वर्गीकरण को निम्नांकित तालिकाओं में दर्शाया गया है–

तालिका संख्या 1 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का जनपदवार वर्गीकरण

क्र0सं0	ज्नपद	कुल श्रमिकों की संख्या	श्रमिकों की संख्या एवं प्रतिशत				
			मैनेजर	सुपरवाइजर	कुशल	अकुशल	अन्य
1	मुरादाबाद	2736 (19.45)	108 (31.58)	187 (24.30)	1301 (24.20)	649 (15.10)	491 (15.00)
2	रामपुर	1250 (8.88)	49 (14.33)	88 (11.40)	388 (7.22)	373 (8.65)	352 (10.80)
3	अमरोहा	2337 (16.61)	87 (25.44)	143 (18.60)	609 (11.30)	795 (18.40)	703 (21.50)
4	बिजनौर	7746 (55.06)	98 (28.65)	351 (45.60)	3076 (57.20)	2496 (57.90)	1725 (52.70)
कुल योग		**14069 (100.00)**	**342 (2.43)**	**769 (5.47)**	**5374 (38.19)**	**4313 (30.66)**	**3271 (23.25)**

स्रोत– चीनी मिल के रिकार्ड द्वारा।

तालिका संख्या 1 में जनपदवार चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि मुरादाबाद मण्डल में कुल रोजगारों की संख्या 14069 है, जिसमें जनपद बिजनौर में सर्वाधिक 7746 (55.06 प्रतिशत) श्रमिक कार्यरत हैं। दूसरे स्थान पर जनपद मुरादाबाद में 2736 (19.45 प्रतिशत) श्रमिक, तीसरे स्थान पर अमरोहा

(जे0पी0 नगर) में 2337 (16.61 प्रतिशत), तथा चतुर्थ स्थान पर रामपुर में 1250 (8.88 प्रतिशत) श्रमिक कार्यरत हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि इस उद्योग में 5 श्रेणी के श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें मैनेजर, सुपरवाइजर कुशल, अकुशल एवं अन्य हैं। यदि चीनी मिल में कार्यरत मैनेजर की संख्या पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि कुल श्रमिकों में इनका प्रतिशत मात्र 2.43 प्रतिशत है, जबकि सुपरवाइजर का प्रतिशत 5. 47 प्रतिशत। कुशल व अकुशल श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 38.19 व 30.66 प्रतिशत है। अन्य श्रमिक का प्रतिशत चीनी मिलों में कुल श्रमिक का 23.25 है। इस आधार पर उदित होता है कि आधे से अधिक श्रमिक कुशल व अकुशल इस उद्योग में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। पुनः मैनेजर की संख्या 342 में प्रथम स्थान पर जनपद मुरादाबाद में 108 (31.58 प्रतिशत), दूसरे स्थान पर जनपद बिजनौर में 98 (28.65 प्रतिशत), तृतीय स्थान पर अमरोहा में 87 (25. 44 प्रतिशत) तथा चतुर्थ स्थान पर रामपुर में 49 (14.33 प्रतिशत) श्रमिक कार्यरत थे। चीनी मिल में कार्यरत सुपरवाइजर की संख्या पर दृष्टिपात किया जाये, तो पता चलता है कि सुपरवाइजर की कुल संख्या 769 है। मुरादाबाद मण्डल के जनपद बिजनौर में सर्वाधिक संख्या 351 (45.60 प्रतिशत) होने के कारण प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद जनपद में सुपरवाइजरों की संख्या 187 (24.30 प्रतिशत) एवं तृतीय स्थान पर जनपद अमरोहा में सुपरवाइजरों की संख्या 143 (18.60 प्रतिशत) तथा चतुर्थ स्थान पर जनपद रामपुर है, जहां सबसे कम सुपरवाइजर 88 (11.40 प्रतिशत) हैं।

कुशल श्रमिकों की संख्या 5374 है, जो कुल श्रमिकों का 38.19 प्रतिशत है। जनपदवार विश्लेषण करने पर देखने में आया है कि सर्वाधिक कुशल श्रमिक जनपद बिजनौर में 3076 (57.20 प्रतिशत) हैं, जो कि प्रथम स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर जनपद मुरादाबाद में 1301 श्रमिक (24.20 प्रतिशत), तृतीय व चतुर्थ स्थान पर क्रमशः अमरोहा व रामपुर में 609 (11. 30 प्रतिशत), 388 (7.22 प्रतिशत) श्रमिक कार्यरत हैं। अकुशल श्रमिकों की संख्या 4313 है। अकुशल श्रमिकों का प्रतिशत कुल श्रमिकों का 30.66 प्रतिशत है। अकुशल श्रमिकों में भी प्रथम स्थान जनपद बिजनौर का ही है, जहाँ 2496 (57.90 प्रतिशत) श्रमिक कार्यरत हैं। दूसरे स्थान पर जनपद अमरोहा में 795 श्रमिक (18.40), तीसरे स्थान पर जनपद मुरादाबाद 649 श्रमिक (15. 10 प्रतिशत) व चतुर्थ स्थान पर सबसे कम अकुशल श्रमिक जनपद रामपुर में कार्यरत हैं, जिनकी संख्या 373 (8.65 प्रतिशत) है।

यदि अन्तिम श्रेणी अर्थात् अन्य श्रेणी के श्रमिकों पर दृष्टिपात किया जाये तो तालिका से पता चलता है कि जनपद बिजनौर में अन्य श्रमिकों की संख्या 1725 (52.70 प्रंतिशत), जनपद अमरोहा में 703 (21.50 प्रतिशत), मुरादाबाद जनपद में 491 (15.00 प्रतिशत) व जनपद रामपुर में 352 श्रमिक (10.80 प्रतिशत) अकुशल पद पर कार्यरत हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी के श्रमिकों का वर्गीकरण करने पर पता चलता है कि सभी जनपदों में कुशल व अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति अधिक है। चीनी मिलों के अनुसार देखा जाये तो जनपद बिजनौर में सर्वाधिक सभी श्रेणी में श्रमिक कार्यरत हैं। इसका विशेष कारण जनपद बिजनौर में अन्य जनपद की चीनी मिलों की संख्या की अपेक्षा अधिक चीनी मिल स्थापित हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जनपद बिजनौर में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर बेरोजगारी भी कम पायी जाती है।

तालिका संख्या 2 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का जनपदवार आय के आधार पर वर्गीकरण

जनपद	कुल श्रमिकों की संख्या	श्रमिकों की संख्या एवं प्रतिशत					
		2000-4000	**4000-6000**	**6000-8000**	**8000-12000**	**12000-20000**	**20000-Above**
मुरादाबाद	2736	493	1017	603	386	163	74
		(18.02)	(37.17)	(22.04)	(14.11)	(5.96)	(2.70)
घामपुर	1250	262	454	316	161	32	25
		(20.96)	(36.32)	(25.28)	(12.88)	(2.56)	(2.00)
अमरोहा	2337	646	818	470	249	123	31
		(27.64)	(35.00)	(20.11)	(10.66)	(5.26)	(1.33)
बिजनौर	7746	1514	3263	1933	731	193	112
		(19.55)	(42.12)	(24.95)	(9.44)	(2.49)	(1.45)
कुल योग	**14069**	**2915**	**5552**	**3322**	**1527**	**511**	**242**
		(20.72)	**(39.46)**	**(23.61)**	**(10.86)**	**(3.63)**	**(1.72)**

उपरोक्त तालिका संख्या 2 में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का जनपदवार आय के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कम से कम रू. 2000 है, जबकि अधिकतम रू0 20000 से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति भी हैं। तालिका को आय के आधार पर 6 उपवर्गों यथा रू0 2000–4000, रू0 4000–6000, रू0 6000–8000 रू0 8000–12000, रू0 12000–20000 तथा रू0 20000 से अधिक में बांटा गया है। यदि मण्डल के समंकों पर ध्यान आकर्षित किया जाये तो स्पष्ट होता है कि 2000–4000 आय वर्ग में 20.72 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि रू0 4000–6000 में 39.46 प्रतिशत, रू0 6000–8000 वर्ग में 23.61 प्रतिशत, रू0 8000–12000 में 10.86 प्रतिशत, रू0 12000–20000 में 3.63 प्रतिशत तथा रू0 20000 से अधिक मासिक आय पाने वाले 1.72 प्रतिशत हैं। इस प्रकार सर्वाधिक श्रमिक रू0 4000–6000 मासिक आय पाने वाले हैं। इसके उपरान्त इनका प्रतिशत उच्च वर्ग के साथ–साथ गिरता जा रहा है।

अब यदि जनपदवार स्थिति का अवलोकन करें, तो स्पष्ट होता है कि जनपद मुरादाबाद में रू0 2000–4000 आय वर्ग में 18.02 प्रतिशत, रू0 4000–6000 आय वर्ग में 37.17 प्रतिशत, 6000–8000 आय वर्ग में 22.04 प्रतिशत, रू0 8000–12000 आय वर्ग में 14.11 प्रतिशत, रू0 12000–20000 आय वर्ग में 5.96 प्रतिशत व रू0 20000 से अधिक वाले 2.70 प्रतिशत हैं। इस प्रकार मुरादाबाद जनपद में भी सर्वाधिक श्रमिकों की संख्या रू0 4000–6000 मासिक आय पाने

वालों की है। जनपद रामपुर के आय समंकों से स्पष्ट होता है कि रू0 2000–4000 मासिक आय पाने वाले 20.96 प्रतिशत, रू0 4000–6000 पाने वाले 36.32 प्रतिशत, रू0 6000–8000 पाने वाले 25.28 प्रतिशत, रू0 8000–12000 पाने वाले 12. 88 प्रतिशत, रू0 12000–20000 पाने वाले 2.56 प्रतिशत, तथा रू0 20000 से अधिक मासिक आय पाने वाले 2.00 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत हैं।

जनपद अमरोहा में इन्हीं आय वर्गो में क्रमशः 27.64 प्रतिशत, 35.00 प्रतिशत, 20.11 प्रतिशत, 10.66 प्रतिशत, 5.26 प्रतिशत व 1.33 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत हैं। इसी प्रकार जनपद बिजनौर में निर्धारित आय वर्गो में क्रमशः 19.55 प्रतिशत, 42.12 प्रतिशत, 24.95 प्रतिशत, 9.44 प्रतिशत, 2.49 प्रतिशत तथा 1.45 प्रतिशत है। इस प्रकार सभी जनपदों में रू0 4000–6000 मासिक आय पाने वाले श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक तथा रू0 20000 से अधिक मासिक आय पाने वालों की सबसे कम है। सभी जनपदों के समंकों से यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे आय–स्तर में वृद्धि हो रही है, श्रमिकों की संख्या कम होती जा रही है। पुनः चारों जनपदों के समंकों की तुलना करने पर पता चलता है कि रू0 2000–4000 आय पाने वालों में जनपद अमरोहा के श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत 27.64 प्रतिशत है, जबकि रू0 4000–6000 पाने वाले श्रमिकों में सर्वाधिक प्रतिशत 42.12 जनपद बिजनौर में है, रू0 6000–8000 में भी सर्वाधिक प्रतिशत 25.28 प्रतिशत रामपुर में है। रू0 8000–12000 पाने वाले श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत 14.11 प्रतिशत जनपद मुरादाबाद का है। पुनः 12000–20000 तथा 20000 से अधिक पाने वाले श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत जनपद मुरादाबाद का क्रमशः 5.96 प्रतिशत एवं 2.70 प्रतिशत है।

अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि न्यूनतम आय को छोड़कर रू0 4000 से अधिक पाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में जैसे–जैसे आय में वृद्धि होती है श्रमिकों की संख्या कम होती जाती है। अतः मजदूरी के परिमाण तथा श्रमिकों की संख्या में ऋणात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। गहन अध्ययन हेतु प्रतिचयन को प्रभावी बनाने की दृष्टि से मुरादाबाद मण्डल की 22 चीनी मिलों में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या का 2 प्रतिशत चयन करके निदर्श का निर्माण किया गया है। इस प्रकार मुरादाबाद मण्डल की 22 मिलों के 283 श्रमिकों का यादृच्छिक निदर्श में सम्मिलित करके सूचना एकत्र की गई है। इन 283 श्रमिकों में मैनेजर, सुपरवाइजर, कुशल अकुशल तथा अन्य श्रमिक सम्मिलित हुए हैं। श्रमिकों को उनके रोजगार के प्रकार तथा आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं–

रोजगार की स्थिति का वर्गीकरण :–

तालिका संख्या 3 : प्रतिचयनित श्रमिकों के रोजगार की स्थिति का वर्गीकरण

क्र0 सं0	मिल का नाम	प्रतिचयनित श्रमिकों की संख्या	मैनेजर	सुपरवाइजर	कुशल	अकुशल	अन्य
1	अपर गैंगेज शुगर एण्ड इन्ड0 लि0, स्योहारा	24	1	1	10	5	7
2	दि धामपुर शुगर मिल लि0, धामपुर	28	1	1	9	12	5
3	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, बिजनौर	18	1	1	7	2	7
4	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, चाँदपुर	14	1	1	8	2	2

5	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नजीबाबाद	15	1	1	5	5	3
6	द्वारिकेश शुगर इन्डस्ट्रीज लि0, बुन्दकी	16	1	1	6	6	2
7	उत्तम शुगर मिल्स लि0, बराकतपुर	9	1	1	2	4	1
8	द्वारिकेशपुरम चीनी मिल, अफजलगढ़	16	1	1	7	3	4
9	बजाज हिन्दुस्तान लि0, बिलाई	16	1	1	5	7	2
10	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, अमरोहा,	13	1	1	4	2	5
11	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरौला,	15	1	1	3	7	3
12	चड्ढ़ा शुगर प्राइवेट लि0, धनौरा	9	1	1	3	3	1
13	त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, चन्दनपुर	10	1	1	1	3	4
14	रूद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, विलासपुर	9	1	1	3	3	1
15	राना शुगर लि0, शाहाबाद– रामपुर	6	1	1	2	1	1
16	त्रिवेणी इजीं0 एण्ड इ0 लि0, मिलक नारायनपुर, रामपुर	10	1	1	1	3	4
17	श्री अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	6	1	1	2	1	1
18	वीनस शुगर मिल्स लिमिटेड, मंझावली, मुरादाबाद	11	1	1	5	2	2
19	दी धामपुर शुगर मिल लि0, असमौली	14	1	1	8	3	1
20	मैसर्स दीवान शुगर्स लि0, अगवानपुर	8	1	1	4	1	1
21	त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, रानी नांगल मुरादाबाद	10	1	1	1	2	5
22	राना शुगर्स लि0, बेलवाड़ा, मुरादाबाद	6	1	1	2	1	1
	कुल योग	**283**	**22**	**22**	**98**	**78**	**63**
	कुल प्रतिशत	**100**	**7.77**	**7.77**	**34.63**	**27.56**	**22.27**

स्रोत– स्वयं सर्वेक्षण द्वारा।

तालिका संख्या 3 में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत प्रतिचयनित श्रमिकों का रोजगार की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रतिचयनित श्रमिकों में 22 श्रमिक (7.77 प्रतिशत) मैनेजर एवं सुपरवाइजर पर कार्य कर रहे हैं जबकि सर्वाधिक 98 श्रमिक (34.63 प्रतिशत) कुशल पद पर व 78 श्रमिक (27.56 प्रतिशत) अकुशल पद पर तथा 63 श्रमिक (22.27 प्रतिशत) अन्य श्रेणी में कार्यरत हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि चीनी मिलों में प्रतिचयनित श्रमिकों में सबसे अधिक कुशल श्रमिक कार्यरत हैं तथा सबसे कम सुपरवाइजर व मैनेजर की संख्या है। बेरोजगारी को दूर करने एवं अपने परिवार का पालन–पोषण करने हेतु श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

तालिका संख्या 4 : प्रतिचयनित श्रमिकों का आय के आधार पर वर्गीकरण

मिल का नाम	प्रतिचयनित श्रमिकों की संख्या	2000-4000	4000-6000	6000-8000	8000-12000	12000-20000	20000-Above
अपर गैंगेज शुगर एण्ड इन्ड0 लि0, स्योहारा	24	3	9	5	3	2	2
दि धामपुर शुगर मिल लि0, धामपुर	28	2	11	6	4	2	3
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, बिजनौर	18	3	6	3	4	1	1
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, चाँदपुर	14	1	5	4	2	1	1
दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नजीबाबाद	15	1	6	3	3	1	1
द्वारिकेश शुगर इन्डस्ट्रीज लि0, बुन्दकी	16	1	5	4	2	2	2
उत्तम शुगर मिल्स लि0, बराकतपुर	9	1	3	1	1	2	1
द्वारिकेशपुरम चीनी मिल, अफजलगढ़	16	2	5	4	2	1	2
बजाज हिन्दुस्तान लि0, बिलाई	16	1	6	3	3	1	2
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, अमरोहा,	13	2	4	1	3	2	1
दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरौला,	15	1	5	4	2	1	2
चड्ढ़ा शुगर प्राइवेट लि0, धनौरा	9	1	4	1	1	1	1
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, चन्दनपुर	10	2	2	2	1	2	1
रूद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, विलासपुर	9	1	4	1	1	1	1
राना शुगर लि0, शाहाबाद– रामपुर	6	1	1	1	1	1	1
त्रिवेणी इजीं0 एण्ड इ0 लि0, मिलक नारायनपुर, रामपुर	10	2	2	1	2	1	2
श्री अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	6		1	1	1	2	1
वीनस शुगर मिल्स लिमिटेड, मंझावली, मुरादाबाद	11	1	4	2	1	1	2
दी धामपुर शुगर मिल लि0, असमौली	14	1	5	2	2	2	2
मैसर्स दीवान शुगर्स लि0, अगवानपुर	8	1	3	1	1	1	1
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, रानी नांगल मुरादाबाद	10	2	2	1	2	2	1
राना शुगर्स लि0, बेलवाड़ा, मुरादाबाद	6	1	1	1	1	1	1
कुल योग	**283**	**31**	**94**	**52**	**43**	**31**	**32**
कुल प्रतिशत	**100**	**10.95**	**33.22**	**18.38**	**15.19**	**10.95**	**11.31**

स्रोत– स्वयं सर्वेक्षण द्वारा।

तालिका संख्या 4 में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में प्रतिचयनित कार्यरत श्रमिकों का आय के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कम से कम रू0 2000 है, जबकि अधिकतम 20000 रू0 से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति भी हैं। तालिका को आय के आधार पर 6 उपवर्गों यथा रू0 2000–4000, रू0 4000–6000, रू0 6000–8000 रू0 8000–12000, रू0 12000 से 2000 तथा रू0 20000 से अधिक में बांटा गया है। मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत प्रतिचयनित श्रमिकों की संख्या 283 है। तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रू0 2000–4000 तक कमाने वाले श्रमिक की संख्या 31 (10.95 प्रतिशत) है। रू0 4000–6000 तक कमाने वाले श्रमिक 94 (33.22 प्रतिशत), रू0 6000–8000 कमाने वाले 52 (18.38 प्रतिशत), रू0 8000–12000 तक कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 43 (15.19 प्रतिशत), रू0 12000–20000 तक कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 31 (10.95 प्रतिशत) तथा 20000 रू से अधिक कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 32 (11.31 प्रतिशत) है। प्रतिचयनित श्रमिकों में सर्वाधिक श्रमिक 4000–6000 रू0 तक 94 (33.22 प्रतिशत) वेतन पा रहे हैं तथा 32 श्रमिक (11.31 प्रतिशत) ही ऐसे श्रमिक हैं, जो रू0 20000 या अधिक पा रहे हैं।

सामाजिक विश्लेषण

आर्थिक विश्लेषण की ही भाँति जब हम सामाजिक विश्लेषण से संदर्भ ग्रहण करते हैं, तब इस विश्लेषण में उन सभी अवयवों को सम्मिलित किया जाता है, जो मनुष्य के सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे– धर्म, जाति, आयु, शैक्षिक स्तर इत्यादि। प्रस्तुत विश्लेषण में इन गुण समंकों का विश्लेषण दो प्रकार से किया गया है। (अ) मण्डल स्तर पर (ब) चुनी गई चीनी मिलों के संदर्भ मे।

मण्डल स्तर पर सामाजिक विश्लेषण

अध्ययन क्षेत्र मुरादाबाद मण्डल के चार जनपदों में 14069 श्रमिक चीनी मिल में कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा अवगत कराये गये समंकों के आधार पर सामाजिक विश्लेषण को निम्न प्रकार किया गया है –

धर्म के आधार पर वर्गीकरण

तालिका में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या को धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

तालिका संख्या 5 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का धर्म के आधार पर जनपदवार वर्गीकरण

क्र0 सं.	जनपद	श्रमिकों की संख्या	हिन्दू	%	मुस्लिम	%	सिक्ख	%	ईसाई	%	अन्य	%
1	मुरादाबाद	2736	1474	53.87	723	26.43	257	9.39	69	2.52	213	7.79
2	रामपुर	1250	738	59.04	300	24.00	98	7.84	24	1.92	90	7.20
3	अमरोहा	2337	1250	53.49	575	24.61	233	9.97	77	3.29	202	8.64
4	बिजनौर	7746	4219	54.47	2717	35.08	424	5.47	252	3.25	134	1.73
		14069	**7681**	**54.60**	**4315**	**30.67**	**1012**	**7.19**	**422**	**3.00**	**639**	**4.54**

स्रोत– चीनी मिल के रिकार्ड से।

तालिका संख्या 5 में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का जनपदवार धर्म के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका को जाति के आधार पर 5 उपवर्गो में विभाजित किया गया है यथा हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई एवं अन्य। अन्य में उन श्रमिकों को शामिल किया गया है जो या तो उपरोक्त धर्म में नहीं हैं या उन्होंने धर्म बताने से इंकार कर दिया। तालिका से स्पष्ट होता है कि मिलों में कार्यरत सबसे अधिक हिन्दू धर्म के श्रमिक हैं। यदि मण्डल के आँकड़ों को देखा जाए तो सबसे अधिक 54.60 प्रतिशत हिन्दू धर्म के श्रमिक हैं, 30.67 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से, 7.19 प्रतिशत सिक्ख धर्म को मानने वाले कार्यरत हैं। ईसाई धर्म के कर्मचारी सबसे कम 3.00 प्रतिशत है, अन्य धर्म के 4.54 प्रतिशत श्रमिक हैं, जिन्होंने अपना धर्म नही बताया या बताना नहीं चाहते थे।

जनपदवार श्रमिकों का धर्म तालिका में देखा जाए तो जनपद मुरादाबाद की चीनी मिलों में सर्वाधिक हिन्दू 53.87 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत हैं, उसके बाद 26.43 प्रतिशत मुस्लिम, 9.39 प्रतिशत सिक्ख, 2.52 प्रतिशत ईसाई धर्म के तथा 7.79 प्रतिशत अन्य धर्म के हैं। जनपद रामपुर की चीनी मिलों में भी सर्वाधिक 59.04 प्रतिशत हिन्दू धर्म के श्रमिक कार्यरत हैं उसके बाद 24.00 प्रतिशत श्रमिक मुस्लिम, 7.84 प्रतिशत, 1.92 प्रतिशत एवं 7. 20 प्रतिशत क्रमशः सिक्ख, ईसाई एवं अन्य धर्म को अपनाने वाले कार्यरत हैं। जनपद अमरोहा की चीनी मिलों में सर्वाधिक 53.49 प्रतिशत श्रमिक हिन्दू धर्म को अपनाते हैं। 24.61 प्रतिशत मुस्लिम, 9.97 प्रतिशत सिक्ख, 3.29 प्रतिशत ईसाई तथा 8. 64 प्रतिशत अन्य धर्म से जुड़े श्रमिक कार्यरत हैं। जनपद बिजनौर की चीनी मिलों में क्रमशः हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई एवं अन्य 54.47 प्रतिशत, 35.08 प्रतिशत, 5.47 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत, 1.73 प्रतिशत हैं। यहाँ पर भी सबसे अधिक हिन्दू श्रमिक ही कार्यरत हैं। चारों जनपदों की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों के धर्मोनुसार यह पता चलता है कि सबसे अधिक हिन्दू धर्म के श्रमिक कार्यरत हैं। दूसरे स्थान पर मुस्लिम धर्म के श्रमिक कार्यरत हैं। जनपद में ईसाई धर्म के व्यक्ति बहुत कम कार्यरत हैं।

जाति के आधार पर वर्गीकरण

प्रस्तुत तालिका में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

तालिका संख्या 6 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का जाति के आधार पर जनपदवार वर्गीकरण

क्र0 सं.	जनपद	श्रमिकों की संख्या	सामान्य	प्रतिशत	पिछड़ा वर्ग	प्रतिशत	अनुसूचित जाति/ जनजाति	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत
1	मुरादाबाद	2736	735	26.86	745	27.23	1194	43.64	62	2.27
2	रामपुर	1250	232	18.56	327	26.16	616	49.28	75	6.00
3	अमरोहा	2337	655	28.03	614	26.27	939	40.18	129	5.52
4	बिजनौर	7746	2049	26.45	2736	35.32	2804	36.20	157	2.03
कुल योग		14069	3671	26.09	4422	31.43	5553	39.47	423	3.01

स्रोत– चीनी मिल के रिकार्ड से।

तालिका संख्या 6 में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तालिका में श्रमिकों को तीन वर्गो में क्रमशः सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति में वर्गीकृत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों में सबसे अधिक प्रतिशत 43.64 अनुसूचित जाति/जनजाति का है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के श्रमिक कार्य कर रहें हैं। सामान्य जाति के केवल 26.86 प्रतिशत श्रमिक ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे श्रमिक जिन्होंने अपनी जाति का ब्यौरा देने से इन्कार कर दिया या उनको पता नहीं ऐसे 2.27 प्रतिशत कार्यरत हैं।

तालिका में जनपद मुरादाबाद में श्रमिकों की संख्या 2736 है, जिनमें 735 श्रमिक (26.86 प्रतिशत) सामान्य जाति के कार्यरत हैं। पिछड़ा वर्ग से 745 श्रमिक (27.23 प्रतिशत), अनुसूचित जाति/जनजाति के 1194 (43.64 प्रतिशत) तथा 62 (2.27 प्रतिशत) अन्य श्रमिक कार्यरत हैं। मुरादाबाद जनपद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रमिक ही कार्यरत हैं। जनपद रामपुर की चीनी मिलों में श्रमिकों की संख्या 1250 है। कार्यरत श्रमिकों में से 232 (18.56 प्रतिशत) श्रमिक सामान्य जाति से थे। 327 श्रमिक (26.16 प्रतिशत) पिछड़ा वर्ग से, 616 श्रमिक (41.28 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/जनजाति से तथा 75 (6.00 प्रतिशत) अन्य जाति से पाए गए। जनपद अमरोहा की चीनी मिलों में कुल 2337 श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें सामान्य जाति के 655 श्रमिक (28.03 प्रतिशत), पिछड़ा वर्ग से 614 (26.27 प्रतिशत), अनुसूचित जाति/जनजाति के 939 श्रमिक (40.18 प्रतिशत) तथा अन्य 129 श्रमिक (5. 52 प्रतिशत) कार्यरत हैं। जनपद बिजनौर की चीनी मिलों में 7746 श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी क्रमशः 2049 (26.45 प्रतिशत), 2736 (35.32 प्रतिशत), 2802 (36.20 प्रतिशत) व 157 (2.03 प्रतिशत) हैं। तालिका से जनपदवार निष्कर्ष निकलता है कि चारों जनपदों की चीनी मिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रमिक ही कार्य कर रह हैं एवं सामान्य जाति के श्रमिकों का प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के प्रतिशत से बहुत कम है।

आयु के आधार पर वर्गीकरण

आयु भी एक सामाजिक चर है, जो मनुष्य के सामाजिक स्तर को प्रभावित करती है। फलस्वरूप मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों को निम्न तालिका में वर्गीकृत किया गया है–

तालिका संख्या 7 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत जनपदवार श्रमिकों का आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्र0 सं.	जनपद	श्रमिकों की संख्या	18-24	%	24-30	%	30-45	%	45-60	%
1	मुरादाबाद	2736	526	19.23	728	26.61	1317	48.14	165	6.03
2	रामपुर	1250	290	23.20	388	31.04	459	36.72	113	9.04
3	अमरोहा	2337	491	21.01	605	25.89	1084	46.38	157	6.72
4	बिजनौर	7746	1345	17.36	2292	29.59	3867	49.92	242	3.12
कुल योग		**14069**	**2652**	**18.85**	**4013**	**28.52**	**6727**	**47.81**	**677**	**4.81**

स्रोत– चीनी मिल के रिकार्ड से।

तालिका संख्या 7 में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों को आयु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तालिका का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्राप्त सूचना 4 वर्गों, यथा– 18 वर्ष से 24 वर्ष, 24 वर्ष से 30 वर्ष, 30 वर्ष से 45 वर्ष तथा 45 से अधिक आयु में विभाजित किया गया है। प्रस्तुत समंकों से पता चलता है कि मुरादाबाद जनपद की चीनी मिलों में 19.23 प्रतिशत श्रमिक 18 से 24 आयु वर्ग, 26.61 प्रतिशत श्रमिक 24 से 30 वर्ष के, 48.14 प्रतिशत श्रमिक 30 से 45 आयु वर्ग के एवं 6.03 प्रतिशत श्रमिक 45 वर्ष की आयु के या अधिक के थे। जनपद रामपुर की चीनी मिलों में 23.20 प्रतिशत श्रमिक 18 से 24 आयु वर्ग, 31.04 प्रतिशत श्रमिक 24 से 30 वर्ष के, 36.72 प्रतिशत श्रमिक 30 से 45 आयु वर्ग के एवं 9.04 प्रतिशत श्रमिक 45 वर्ष की आयु के या अधिक के थे। जनपद अमरोहा की चीनी मिलों में 21.01 प्रतिशत श्रमिक 18 से 24 आयु वर्ग, 25.89 प्रतिशत श्रमिक 24 से 30 वर्ष के, 46.38 प्रतिशत श्रमिक 30 से 45 आयु वर्ग के एवं 6.72 प्रतिशत श्रमिक 45 वर्ष की आयु के या अधिक के थे।

जनपद बिजनौर की चीनी मिलों में 17.36 प्रतिशत श्रमिक 18 से 24 आयु वर्ग, 29.59 प्रतिशत श्रमिक 24 से 30 वर्ष के, 49.92 प्रतिशत श्रमिक 30 से 45 आयु वर्ग के एवं 3.12 प्रतिशत श्रमिक 45 वर्ष की आयु के या अधिक के थे। मण्डल मुरादाबाद की चारों मिलों का अलग–अलग आयु के आधार पर विश्लेषण के बाद संयुक्त परिणाम देखा जाए, तो पता चलता है कि सबसे अधिक 47.81 प्रतिशत 30 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग में कार्यरत हैं। यह एक ऐसा मध्यम आयु वर्ग होता है, जहाँ श्रमिक सकुशल एवं स्वस्थ वातावरण में कार्य सम्पन्न करता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 24 वर्ष से 30 वर्ष आयु वर्ग में 28.52 प्रतिशत, तीसरे स्थान पर 18.85 प्रतिशत व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। 45–60 वर्ष की आयु में 4.81 प्रतिशत श्रमिक कार्य करते हुए अपनी जीविका का निर्वहन कर रहे हैं।

मुरादाबाद मण्डल की प्रतिचयनित चीनी मिलों के आधार पर सामाजिक विश्लेषण :

गहन अध्ययन हेतु मुरादाबाद के चार जनपदों, यथा– जनपद मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर) व बिजनौर से अनुपातिक प्रतिचयन के आधार पर प्रतिचयन को प्रभावी बनाने की दृष्टि से इन चीनी मिलों में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या का 2 प्रतिशत चयन करके निदर्श का निर्माण किया गया है। इस प्रकार प्रतिचयनित 22 चीनी मिलों के 283 कर्मचारियों को यादृच्छिक निदर्श में सम्मिलित करके सूचना एकत्र की गयी है, जिसके आधार पर इन चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का सामाजिक विश्लेषण निम्नांकित वर्गीकरण के आधार पर किया गया है–

तालिका संख्या 8 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण

मिल का नाम	प्रतिचयनित श्रमिकों की संख्या	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	ईसाई	अन्य
अपर गैंगेज शुगर एण्ड इन्ड0 लि0, स्योहारा	24	14	7	2	-	1
दि धामपुर शुगर मिल लि0, धामपुर	28	18	6	2	1	1
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, बिजनौर	18	11	3	1	1	2
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, चाँदपुर	14	9	2	1	1	1

दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नजीबाबाद	15	8	4	2	-	1
द्वारिकेश शुगर इन्डस्ट्रीज लि0, बुन्दकी	16	9	5	1	1	-
उत्तम शुगर मिल्स लि0, बराकतपुर	9	5	2	2	-	-
द्वारिकेशपुरम चीनी मिल, अफजलगढ़	16	9	5	1	-	1
बजाज हिन्दुस्तान लि0, बिलाई	16	9	4	2	1	-
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, अमरोहा,	13	7	3	1	1	1
दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरौला,	15	8	4	2	1	-
चड्ढ़ा शुगर प्राइवेट लि0, धनौरा	9	5	1	1	1	1
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, चन्दनपुर	10	6	3	-	-	1
रूद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, विलासपुर	9	5	1	1	-	2
राना शुगर लि0, शाहाबाद– रामपुर	6	4	1	1	-	-
त्रिवेणी इजीं0 एण्ड इ0 लि0, मिलक नारायनपुर, रामपुर	10	6	2	2	-	-
श्री अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	6	4	-	2	-	-
वीनस शुगर मिल्स लिमिटेड, मंझावली, मुरादाबाद	11	7	-	4	-	-
दी धामपुर शुगर मिल लि0, असमौली	14	9	1	3	-	1
मैसर्स दीवान शुगर्स लि0, अगवानपुर	8	5	2	1	-	-
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, रानी नांगल मुरादाबाद	10	6	2	2	-	-
राना शुगर्स लि0, बेलवाड़ा, मुरादाबाद	6	4	1	1	-	-
कुल योग	**283**	**168**	**59**	**35**	**8**	**13**
कुल प्रतिशत	**100**	**59.36**	**20.85**	**12.37**	**2.83**	**4.59**

स्रोत– स्वयं सर्वेक्षण द्वारा।

तालिका संख्या 8 में मुरादाबाद मण्डल की प्रतिचयनित चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का धर्म के आधार पर विश्लेषण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि प्रतिचयनित 283 श्रमिकों में से 168 (59.36 प्रतिशत) हिन्दू, 59 (20.85 प्रतिशत) मुस्लिम, 35 (12.37 प्रतिशत) सिक्ख, 8 (2.83 प्रतिशत) इसाई तथा 13 (4.59 प्रतिशत) अन्य थे, जिन्होंने अपना धर्म बताने से मना कर दिया। इस प्रकार तालिका से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी प्रतिचयनित शुगर मिलों में 50 प्रतिशत से अधिक हिन्दू कर्मचारी कार्यरत थे। दूसरे स्थान पर मुस्लिमों का प्रतिशत लगभग 21 है। तीसरे स्थान पर पर सिक्ख धर्म को कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग 13 है, चतुर्थ स्थान पर अन्य धर्म के कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग 5 है, जबकि निदर्श में सम्मिलित लगभग 3 प्रतिशत कर्मचारी ईसाई हैं। इस प्रकार धर्म के आधार पर एकत्रित समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र हिन्दू बाहुल्य है तथा बिहार व अन्य प्रान्तों से आये अधिकांश श्रमिक हिन्दू धर्म के हैं। दूसरा स्थान मुस्लिम धर्म का है जबकि तृतीय व चतुर्थ स्थान क्रमशः सिक्ख व ईसाई धर्म का है।

तालिका संख्या 09 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत प्रतिचयनित श्रमिकों का जाति के आधार पर वर्गीकरण

मिल का नाम	प्रतिचयनित श्रमिकों की संख्या	सामान्य जाति	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/ जनजाति	अन्य वर्ग
अपर गैंगेज शुगर एण्ड इन्ड0 लि0, स्योहारा	24	5	6	10	3
दि धामपुर शुगर मिल लि0, धामपुर	28	6	8	12	2
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, बिजनौर	18	3	5	9	1
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, चाँदपुर	14	2	4	7	1
दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नजीबाबाद	15	4	3	7	1
द्वारिकेश शुगर इन्डस्ट्रीज लि0, बुन्दकी	16	4	4	8	-
उत्तम शुगर मिल्स लि0, बराकतपुर	9	2	2	5	-
द्वारिकेशपुरम चीनी मिल, अफजलगढ़	16	4	4	8	-
बजाज हिन्दुस्तान लि0, बिलाई	16	4	8	4	1
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, अमरोहा,	13	4	5	4	-
दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरौला,	15	3	4	7	1
चड्ढ़ा शुगर प्राइवेट लि0, धनौरा	9	2	2	5	-
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, चन्दनपुर	10	2	1	6	-
रूद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, विलासपुर	9	2	5	2	-
राना शुगर लि0, शाहाबाद– रामपुर	6	1	1	4	-
त्रिवेणी इजीं0 एण्ड इ0 लि0, मिलक नारायनपुर, रामपुर	10	3	2	5	-
श्री अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	6	1	1	4	-
वीनस शुगर मिल्स लिमिटेड, मंझावली, मुरादाबाद	11	4	2	5	-
दी धामपुर शुगर मिल लि0, असमौली	14	2	5	7	-
मैसर्स दीवान शुगर्स लि0, अगवानपुर	8	2	2	4	-
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, रानी नांगल मुरादाबाद	10	2	3	4	1
राना शुगर्स लि0, बेलवाड़ा, मुरादाबाद	6	1	1	3	1
कुल योग	**283**	**63**	**78**	**130**	**12**
कुल प्रतिशत	**100**	**22.26**	**27.56**	**45.94**	**4.24**

स्रोत– स्वयं सर्वेक्षण द्वारा।

तालिका से विदित होता है कि मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत प्रतिचयनित श्रमिकों का जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है तथा प्रतिचयनित श्रमिकों को तीन वर्गों– सामान्य, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति में वर्गीकृत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि– 22.26 प्रतिशत सामान्य वर्ग के, 27.56 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के एवं 45.94 प्रतिशत अनु0जा/जन0 के तथा 4.24 प्रतिशत अन्य वर्ग के कर्मचारी कार्यरत पाये गये। इस प्रकार जाति के आधार पर वर्गीकरण से स्पष्ट है कि इन शुगर मिलों में सर्वाधिक कर्मचारी अनुसूचित/जनजाति के, दूसरे स्थान पर पिछड़ा वर्ग के कार्यरत थे। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी निचले स्तर पर कार्य करने को भी तत्पर रहते हैं। पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी भी एक सीमा तक निचले स्तर पर कार्य कर लेते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के कर्मचारी तकनीकी एवं ऑफिस जॉब में रुचि रखते हैं, जिनके रोजगार की संख्या सीमित हैं।

तालिका संख्या 10 : मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत प्रतिचयनित श्रमिकों का आयु के आधार पर वर्गीकरण

मिल का नाम	प्रतिचयनित श्रमिकों की संख्या	18-24	24-30	30-45	45 & Above
अपर गैंगेज शुगर एण्ड इन्ड0 लि0, स्योहारा	24	3	6	11	4
दि धामपुर शुगर मिल लि0, धामपुर	28	2	9	13	4
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, बिजनौर	18	1	5	10	2
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, चाँदपुर	14	2	2	8	2
दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नजीबाबाद	15	2	3	7	3
द्वारिकेश शुगर इन्डस्ट्रीज लि0, बुन्दकी	16	1	4	9	2
उत्तम शुगर मिल्स लि0, बराकतपुर	9	1	3	4	1
द्वारिकेशपुरम चीनी मिल, अफजलगढ़	16	1	4	9	2
बजाज हिन्दुस्तान लि0, बिलाई	16	1	4	8	3
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, अमरोहा,	13	3	2	7	1
दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरौला,	15	1	3	8	3
चड्ढ़ा शुगर प्राइवेट लि0, धनौरा	9	1	2	5	1
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, चन्दनपुर	10	1	1	6	2
रूद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, विलासपुर	9	1	1	5	2
राना शुगर लि0, शाहाबाद– रामपुर	6	1	1	3	1
त्रिवेणी इजीं0 एण्ड इ0 लि0, मिलक नारायनपुर, रामपुर	10	1	1	6	2

श्री अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	6	1	1	3	1
वीनस शुगर मिल्स लिमिटेड, मंझावली, मुरादाबाद	11	1	2	7	1
दी धामपुर शुगर मिल लि0, असमौली	14	2	2	8	2
मैसर्स दीवान शुगर्स लि0, अगवानपुर	8	1	1	5	1
त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इ0 लि0, रानी नांगल मुरादाबाद	10	1	2	6	1
राना शुगर्स लि0, बेलवाड़ा, मुरादाबाद	6	1	1	3	1
कुल योग	**283**	**30**	**60**	**151**	**42**
कुल प्रतिशत	**100**	**10.60**	**21.20**	**53.36**	**14.84**

स्रोत– स्वयं सर्वेक्षण द्वारा।

तालिका संख्या 10 में मुरादाबाद मण्डल की चीनी मिलों में कार्यरत प्रतिचयनित श्रमिकों का आयु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तालिका का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्राप्त सूचना 4 वर्गों, यथा– 18 से 24 वर्ष, 24 से 30 वर्ष, 30–45 एवं वष 45 से अधिक द्वारा प्रदर्शित की गयी है। इस प्रकार तालिका का आयु के आधार पर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सर्वाधिक (53.36 प्रतिशत) 30 से 45 आयु वर्ग के पाये गये। सम्भवतया इस आयु वर्ग में कार्यक्षमता व दक्षता उच्च स्तर पर होती है। दूसरे स्थान पर (21.20 प्रतिशत) 24 से 30 आयु वर्ग के थे। सम्भवतया इस वर्ग के कर्मचारियों की कार्यदक्षता अधिक होती है। तीसरे स्थान पर (10.60 प्रतिशत) 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग के कर्मचारी पाये गये। जबकि चौथे स्थान पर (14.84 प्रतिशत) कर्मचारी 45 से अधिक आयु वर्ग के थे। सम्भवतया इस आयु वर्ग में दक्षता तो अधिक होती है, परन्तु कार्यक्षमता कम होती जाती है।

–: संदर्भ सूची :–

BOOKS :

- **Agarwal, R.D.** Dynamics of Labour Relation in India.
- **Agarwal, S.C.** Industrial housing in India
- **Ankalikar, S.M.** Labour Management in theory and practice
- **Bloom and Northrup** Economics of Labour Relations
- **Blum and Nayla** Industrial Psychology
- **Brown Phelps** The Economics of Labour
- **Chatterji, A.C.** Notes on the Industries of U.P
- **Claude, S. George** Management in Industry
- **Das, R.K.** Labour Movement in India
- **Dass, B.K.** Factory Labour in India.
- **Edger, H. Schein** Organizational psychology
- **Florence, P.S.** Labour
- **Gardner & More** Human Relations in Industry
- **Ghosh, Alak** Indian Economic: Its Nature and Problems.
- **Hearnshaw & Winterbourn** Human Welfare and Industrial Efficiency
- **Heinrich, H.W.** Industrial accident prevention
- **Kuchchal, S.C.** The Industrial economy of India
- **Laster, R.A.** Labour and Industrial

relations
- **Loknathan, P.S.** Industrial Welfare in India.
- **Memoria, C.B.** Personnel Management
- **Moorthy, M.V.** Principles of Labour Welfare
- **Rastogi, T.N.** Indian Industrial Labour
- **Read., M.** Indian peasant uprooted
- **Saxena, R.C.** Labour Problems and Social Welfare
- **Silverman** Economics of Social Welfare
- **Singh, Indirajeet** Labour Laws
- **Sud, D.C.** Incentives in Industry
- **Tripathi, P.C.** Personnel Management Webbs, Sidney & Beatrice Industrial Democracy

NEWSPAPERS :
- Economics Times
- Hindustan Times
- Times of India
- Indian Express
- Danik Jagran
- Amar Ujala

Websites :
- www.google.com
- www.Indiansugar.com
- www.dsm.com
- www.india.htm
- www.trivanigroup.com
- www.ranagroup.com

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

स्थानीय स्वायत्त शासन- सिद्धान्त एवं व्यवहार

(पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ग्रामपंचायत का अध्ययन)

डॉ० जयकुमार सरोहा
एसोशिएट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान
शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद

भारतीय गांवों को लोकतंत्र का आधार बनाने की जो कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, उसके लिए पंचायत व्यवस्था को साकार रूप देने के लिए स्वतंत्रता के बाद 7 दिसम्बर 1947 को तत्कालीन गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य एक्ट सामने आया, और 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद देश के संविधान में पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था अनु0 40 में की गयी। 1961 में पंचायतों के तीसरे आम चुनावों के साथ ही विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। फलस्वरूप 1972-73 में चौथे, तथा 1982-83 में पांचवें पंचायत चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी। ग्रामसभाओं की संख्या बढ़कर पूरे उत्तर प्रदेश में 74060 हो गयी। वर्ष 1992 तक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण वे ग्रामीण विकास में समुचित योगदान नहीं दे पा रही हैं। 1992 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुपालन में संविधान में 73वां संशोधन किया गया। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 पारित किया गया। इस विधेयक से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को स्थापित कर उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया।

संविधान की 11वीं अनुसूची में इंगित 29 विषयों से संबन्धित कार्यों को संचालित करने का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया। इसके प्रथम सोपान पर कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्रामपंचायत होती है, जिसमें प्रधान, उपप्रधान, हर 200 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम स्तरीय विकास अधिकारी (वी0डी0ओ0), तथा ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा सचिव होता है। हर ग्रामपंचायत में निम्नलिखित 4 समितियां होती हैं-

1- विकास समिति
2- ग्राम शिक्षा समिति
3- लोकहित समिति
4- समता समिति

ग्राम पंचायतों को संपादन हेतु कृषि उत्पादन, पशुपालन एवं ग्रामीण उद्योग, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की प्रोन्नति, सामाजिक

न्याय, शोषण से संरक्षण, महिलाओं और बच्चों को कल्याण आदि विषय दिये गये हैं।

विकासखण्ड स्तर पर स्थापित क्षेत्र पंचायत द्वितीय स्तर की संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख, उपप्रमुख, हर दो हजार की आबादी पर एक बी0डी0सी0 सदस्य, ग्रामपंचायतों के समस्त प्रधान, समस्त संबन्धित विभागीय क्षेत्र स्तर के अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी तथ सचिव बी0डी0ओ0 क्षेत्र पंचायत सचिव के लिए होता है। क्षेत्र पंचायत में भी निम्नलिखित 4 समितियां होती हैं।

1- कार्य समिति

2- वित्त एवं विकास समिति

3- शिक्षा समिति

4- समता समिति

जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम नियोजन कृषि एवं पशुपालन, लघु उद्योग प्रोन्नति, निर्माण कार्य, सबके लिए शिक्षा, महिला एवं बालकल्याण, जन स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं शोषण से संरक्षण, वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना तथा बकाया धन की वसूली से संबन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के साथ-साथ इसके निष्पक्ष एवं स्वतंत्र संचालन हेतु संविधान के प्राविधान के अनुरूप प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक वर्ग में कम से कम 33 प्रतिशत पद उसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किये गये हैं। किसी अनारक्षित पद के लिए भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में पंचायतों का विवरण (आंकड़ों में)

संस्था	पद	कुल	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ग्राम पंचायत	1. प्रधान	58588	78	39	8202	4101	10545	5273	20233	10117
	2. सदस्य	673601	898	449	94304	47152	121248	60624	232618	116306
क्षेत्र पंचायत	1. प्रमुख	901	1	1	126	63	162	81	312	155
	2. सदस्य	57288	76	38	8020	4010	10313	5156	19784	9891
जिला पंचायत	1. अध्यक्ष	68	–	–	10	4	13	6	24	11
	2. सदस्य	2529	4	1	354	177	456	227	874	436

स्रोत- उत्तर प्रदेश संदेश- अगस्त 1997

जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक पंचायतों के स्वायत्त शासन में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के साथ ही पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के प्रतिनिधियों को भी पर्याप्त भागीदारी व अधिकार दिये जाने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी है, उससे ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के पदाधिकारियों के चुने जाने से वे अपने वर्ग के प्रति दायित्व का बेहतर निर्वाह कर पाये हों, तथा उनमें राजनीतिक चेतना व सामाजिक जागरूकता आयी हो, ऐसा नहीं है।

पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के 11 वर्षों बाद भी ये संस्थाएं अपने मूलभूत लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने तीनों ही स्तरों पर क्यों विफल है, इसके विश्लेषण हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सामान्य गांव 'ककौर' को केन्द्र में रखकर अनुभवात्मक शोध किया गया। शोधार्थी ने 100 व्यक्तियों से प्रश्नावलियों के माध्यम से व साक्षात्कार द्वारा उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं। उत्तरदाताओं में से 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 51 प्रतिशत सामान्य जाति के हैं। कुल उत्तरदाताओं का 33 प्रतिशत महिला वर्ग से है। 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायत के चुनाव आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक गांव में आपसी गुटबाजी के चलते सामूहिक हिंसा में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में सिर्फ मेरठ मण्डल में लगभग 16 ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, या प्रधान पद के प्रत्याशी इस चुनावी हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। शोधार्थी के अनुभवात्मक विश्लेषण को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है-

1- ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रत्येक मतदाता मतदान अवश्य करता है, लेकिन वह अपने इस राजनीतिक अधिकार के प्रति पूर्ण जागरूक हो, अर्थात् अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करता हो, ऐसा नहीं है। कुल 100 मतादाताओं में से 23 प्रतिशत मतदाता ही ग्राम पंचायत के लिए मतदान का निर्णय स्वयं करते हैं। बाकी 77 प्रतिशत में से 52 प्रतिशत परिवार मुखिया की राय के अनुसार तथा शेष 17 प्रतिशत 'कुटुम्ब'[१] की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं, जिनमें अधिकांश जाट जाति के मतदाता हैं। कुल के शेष जातिगत आधार पर मतदान करते हैं। ये अधिकांश अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा उपवर्ग से आते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रत्येक परिवार, जहां भी वोट करता है, पूरा एक साथ करता है। महिलाओं में से 80 प्रतिशत महिलाएं अपने पति के मत के अनुसार, तथा 12 प्रतिशत परिवार के मुखिया के मत के अनुसार, और शेष मात्र 8 प्रतिशत महिलाएं किसे मत देना है- इसका निर्णय स्वयं करती हैं। इनमें अधिकांश पढ़ी-लिखी व नौजवान महलाएं हैं।

2- अध्ययन के लिए चुने गये इस गांव में 15 ग्रामपंचायत सदस्यों में से 4 महिलाएं हैं, जो अपने पति अथवा ससुर की छाया मात्र हैं। अधिकांशत: उनके फर्जी हस्ताक्षरों से प्रस्ताव पारित कर लिये जाते हैं, जबकि इस संदर्भ में सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश का पत्रांक 879/ 33-1-98-127/ 98 का शासनादेश महिला सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षरों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाता है तथा ऐसी बैठकों में उनके पति, ससुर या अन्य संबन्धी के प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाता है।[२] लेकिन फिर भी हालत ज्यों की त्यों है।

3- अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा महिला वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की गयी है, वह मात्र कागजी खानापूर्ति है। प्रत्येक गांव में प्रभावशाली जाति के दो गुट होते हैं। पंचायत स्तरीय राजनीतिक सत्ता इन्हीं गुटों में निरन्तर गतिमान रहती है। एक योजना के अन्तर्गत यदि प्रधान, प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष का पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो जाता है, तो ये प्रभावशाली लोग अपनी पत्नी या अन्य पारिवारिक महिला को उम्मीदवार बना देते हैं। पद यदि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो इस जाति के किसी अपने नौकर को उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। अन्ततोगत्वा वास्तविक सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में रहती है।

अत: इन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा माहिलाओं में वह राजनीतिक जागरूकता तथा समाजिक विकास नहीं हो पाया है, जिसकी कामना इन संस्थाओं से की गयी थी। पंचायती राज व्यवस्था परम्परागत सामाजिक ढांचे के जाल में जकड़ी हुई नजर आती है। शोधार्थी ने जिस गांव को केन्द्र में रखकर यह अध्ययन किया है, उसका पूर्व प्रधान अनुसूचित जाति (वाल्मीकि) से था। साक्षात्कार के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक बन्धनों एवं अशिक्षा तथा आत्मविश्वास की कमी के चलते वह अपने निर्णय चाहते हुए भी स्वयं नहीं ले पाता था। वह पूर्ण रूप से तत्कालीन उपप्रधान पर आश्रित था। अत: वह उसकी इच्छानुसार ही अपने निर्णय लेता था। ग्रामप्रधान होने के बावजूद भी वह चारपाई पर बैठने तक की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अर्थात् वह जमीन पर ही बैठता था। वर्तमान समय में इस गांव में उपप्रधान पद पर एक महिला विराजमान है। उसे देश के प्रधानमंत्री तो क्या, जिला कलैक्टर का भी नाम पता नहीं है। वह अपने पति या ससुर की उपस्थिति के बिना किसी से बात नहीं कर सकती। वह पर्दा करती है तथा किसी भी ग्राम पंचायत की बैठक में भाग नहीं लेती। उसके स्थान पर उसका पति बैठक में भाग लेता है। वह वहीं हस्ताक्षर करती है, जहां उसका पति कहता है। जबकि वह दसवीं कक्षा पास है। इस संदर्भ में जब गांव की अन्य महिलाओं के विचार जानने की कोशिश की गयी, तो आश्चर्यजनक रूप से यह तथ्य सामने आया कि गांव की महिलाएं उपप्रधान के स्थान पर उसके पति द्वारा उसके पद के दुरुपयोग को बुरा नहीं मानतीं, अर्थात् इस कुप्रथा को सामाजिक स्वीकारोक्ति प्राप्त है। सामान्य वर्ग व पिछड़ा वर्ग के ग्रामप्रधानों की जागरूकता के आकलन हेतु 10 पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया गया, तो 80 प्रतिशत में सामान्य जानकारी तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न था। उनका ग्रामप्रधान बनने का वास्तविक मकसद समाज पर रौब गालिब करना, पंचायती भूमि अपने चहेतों को आवंटित करना अथवा विकास योजनाओं से धन ऐंठना मात्र है।

संक्षेप में शोधपत्र के सार के रूप में निष्कर्ष यह निकलता है कि सिद्धांत रूप में पंचायती राज व्यवस्था जिन लक्ष्यों की ओर उन्मुख है, व्यवहार में वह उन्हीं लक्ष्यों से विमुख होती प्रतीत होती है।

-: सन्दर्भ सूची :-

अ- प्राथमिक स्रोत

1. विवरणिका, 2002-2003, ग्राम पंचायत, ककौर
2. सांख्यिकी विवरणिका, मेरठ मण्डल

ब- द्वितीयक स्रोत

1. भारत में स्थानीय स्वशासन, अवस्थी एवं माहेश्वरी
2- योजना, मार्च 1992, अप्रैल 1997, तथा मई 2002
3- पंचायती राज अधिनियम ऑडिटिड बाई हुकम सिंह एडवोकेट, हिन्द लॉ एजेन्सी
4- पंचायती राज, जनता को अधिकार, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
5- संदेश, सम्पादक रोहित नन्दन, सचिव सूचना एवं सूचना निदेशक, उ0प्र0
6- संदेश, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
7- एक परिचय (विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गयी योजनाएं), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

जैन धर्म की प्राचीनता : एक दृष्टि

डॉ0 चित्रा
ग्राम– गुरसौली
पो0– बहेड़ी, जि0–बरेली

भारतीय संस्कृति को परिपुष्ट एवं संवर्धित करने एवं इसके स्वरूप निर्माण में जैन संस्कृति का महान योगदान रहा है। साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी एवं मानव–मूल्यों के प्रति आख्या इत्यादि में जैन संस्कृति की बड़ी भारी देन है। जैन धर्म की विचारधारा प्राग्वैदिक है– इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके संस्थापक भगवान ऋषभदेव हैं, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं।[1]

जबसे आत्मविजय की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ, तभी से वेदत्रयी के परिवर्तित साहित्य में जैन मत के स्पष्ट उल्लेख होने लगे थे, किंतु इस काल में आकर लोग इस धर्म को जैन धर्म और इनके अत्म–विजय अनुयायी को 'जिन' नाम से पुकारने लगे थे।[2]

जिन को ही सम्मानसूचक अर्थ में जनेश्वर, जिनेन्द्र आदि शब्दों द्वारा व्यवहृत किया जाता है। इन्हीं को पूज्य अर्थ में अर्हत 'अर्हन्त' अथवा अरिहन्त भी आशय निगूढ़ है कि उन्होंने आत्मा के जो विषय कपाय शत्रु थे, उन सबका नाश कर दिया।[3] उनको जीत लिया। इन राग–द्वेष रूप विकृतियों को जीत कर ही वीतरण और 'जिन' बनते हैं।[4]

1. वेद–पुराण ग्रन्थों में जैनों का वर्णन :

जैन मतानुसार चौदह मनु अर्थात् कुलकर हुए हैं तथा अन्तिम कुलकर नाभिराज थे। इन्हीं के पुत्र ऋषभ देव जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए। इनका वर्णन सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में भी मिलता है कि ऋषभ स्वयं आदि पुरुष थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मर्त्यदशा में देवत्व की प्राप्ति की।[5]

श्री भागवत पुराण में भी ऋषभ देव को जनता का कल्याण करने के लिए अवतरित माना गया है।[6]

2. श्रवण शब्द का प्रयोग :

प्राचीन साहित्य में जैन धर्म के लिए 'श्रमण' शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में भी श्रवणों का उल्लेख है। भगवान राम ने जिस भीलनी के बेर खाये थे, वह एक श्रमणी ही थी। इस प्रकार बाल्मीकि की रामायण भी इसका उल्लेख कर रही है। भागवतकार ने जो श्रमणों की प्रशंसा की है, वह उनके उच्च विचार, आचार के द्योतक हैं। श्रमण परम्परा के कारण ब्राह्मण में धर्म वानप्रस्थ और संन्यास का प्रश्रय मिला।[7]

3. व्रात्स शब्द का प्रयोग :

वैदिक ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर जैन धर्म के मानने वाले तथा आत्मसंयम से युक्त जिनों या निर्ग्रन्थ मुनियों को व्रात्स भी कहा गया है।[8] व्रात्स का अर्थ है, जो व्रतों का आचरण करे, 'व्रत का पालन करने वाले'। व्रत्सों के लिए बड़े आदरसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस काल में इन्हें बड़े ही

आदर की दृष्टि से देखा जाता था।[9] व्रात्स की यह प्रशंसा ऋग्वेद के काल से लेकर अथर्ववेद काल तक प्राप्त होती है। अथर्ववेद में तो स्वतन्त्र व्रात्स सूक्त की रचना भी मिलती है।[10]

4. आर्हत शब्द का प्रयोग :

जैन धर्म में श्रवण व्रात्स शब्दों की तरह ही आर्हत शब्दों का प्रयोग हुआ है। आर्हत शब्द नया नहीं है, अति प्रचीन है, किंतु इसका खुलकर प्रयोग पौराणिक काल में ही हुआ है। एक जगह तीर्थंकर ऋषभदेव के विषय में लिखा है कि ''तापाग्नि में कर्मों को नष्ट करके व सर्वज्ञ 'आर्हत' हुए और उन्होंने आर्हत मत का प्रचार किया।''[11] यह सब जैन धर्म के प्राचीन होने के प्रमाण ही हैं। विष्णु पुराण में भी देवासुर संग्राम के विषय में माया मोह का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ''माया मोह ने असुरों में 'आर्हत' धर्म का प्रचार किया।'' यहां माया मोह का दिगम्बर मुनि के रूप में वर्णन किया गया है।[12] मत्स्य पुराण में भी लिखा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, जिसे आर्हतों ने चलाया।[13] इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रमण, व्रात्स, आर्हत आदि विभिन्न शब्द केवल जैन धर्म के मानने वाले मुनियों के लिए ही हैं।

5. पुरातत्व और प्राग्वैदिक जैन धर्म की प्राचीनता के प्रमाण :

इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि भारत में जब वैदिक सभ्यता को बढ़ावा मिला, तो उससे पहले भी यहां एक समृद्ध अति उन्नतशील सभ्यता थी। आज प्राग्वैदिक साहित्य उपलब्ध नहीं है, जो जैन धर्म की प्राचीनता के प्रमाण हैं।[14]

मोहन जोदड़ों उत्खनन का कार्य 1922–27 ई0 के मध्य सरकार के पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण ने सम्पन्न किया। खुदाई में जो सीलें प्राप्त हुई, उनसे जैन संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध होती है। जैन धर्म प्राग्वैदिक है और भारत में योग परम्परा का प्रवर्तक है, यह प्रमाणित होता है।[15]

डॉ0 राधाकुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 4 फलक 12 और 118 आकृति 7 कायोत्सर्ग नायक योगासन में खड़े हुए देवताओं को सूचित करती हैं। यह मुद्रा जैन योगियों की तपश्चर्या में विशेष रूप से मिलती है। जैसे मथुरा संग्रहालय में स्थापित तीर्थंकर देव की मूर्ति में है अर्थात् जैन धर्म का मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धु सभ्यता तक चला जाता है।[16]

एक मोहर पर तो एक कार्योत्सर्ग मुद्रा ध्यान में लीन है, फिर उसके सिर के ऊपर त्रिशुल है, मुख के पास एक पेड़ का पत्ता है। योगी के चरणों में एक भक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है तथा उस भक्त के पीछे एक वृषभ खड़ा है। योगी को घेरे एक बैल है। नीचे सामने की ओर सात योगी उसी मुद्रा में भुजा लटकाये ध्यान में मग्न हैं।[17] इस मोहर पर अंकित इस चित्र का और जैन शास्त्रों में वर्णित भगवान ऋषभ देव का जो वर्णन मिलता है, वह इसके काफी समान है। इस समानता का वर्णन आदिपुराण में भी मिलता है कि भगवान ऋषभ देव की दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही हैं और उनका शरीर अत्यंत प्रकाशवान और ऊंचा है। इसलिए वह ऐसे जान पड़ते हैं कि आगे के भाग में स्थित दो ऊंची शाखाओं वाले कल्पवृक्ष हों।[18] जो भगवान ऋषभदेव की पूजा कर चुके हैं, जो हाथ जोड़े खड़े हैं, घुटने जमीन पर टिके हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसे भक्ति से झुके सिर वाले राजा भरत ने उन्हें प्रणाम किया।[19] इसके पीछे वृषभ लांछन है। नीचे सात मुनि भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ध्यानमग्न हैं, जो चार हजार राजा दिगम्बर मुनि बने थे, वे सात मुनि उन्हीं के प्रतीक हैं। ये सब कल्पवृक्ष के पास खड़े हुए हैं। उनके मुख के सामने भी पत्ता नहीं हिल रहा है।[20] इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म का अस्तित्व पुरातत्व में भी व्यापक था। यह सभी जानते हैं कि कार्योत्सर्ग मूर्तियां केवल जैनों की ही हैं। भगवान ऋषभ देव की खड्ग आसन मूर्तियां ई0 पूर्व सन् से ही प्राप्त होती हैं। अतः जैन धर्म सिन्धु घाटी की सभ्यता के

समय पूर्ण रूप से विकसित था। इससे स्पष्ट होता है कि ऋषभदेव को हुए काफी समय हो गया तथा इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ई0 पूर्व शताब्दी में भगवान ऋषभ देव की पूजा की जाती थी।

अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जैन धर्म अति प्राचीन है, जिसका वेद–शास्त्रों में श्रमण, व्रात्स, आर्हत आदि रूपों में वर्णन हुआ है। भगवान ऋषभ देव ही इसके संस्थापक हैं। जैन धर्म प्राचीन काल से ही चला आ रहा है।

: सदंर्भ सूची :

1. डॉ0 शेखरचन्द्र जैन : जैन धर्म और दर्शन, पृ0–17, अ0 नाथू जी जैन शास्त्री : प्रागैतिहासिक– प्राग्वैदिक जैन धर्म एवं उनके सिद्धांत, पृ0–14–15
2. बलभद्र जैन : जैन धर्म की प्राचीनता, पृ0–5
3. वही, पृ0– 5
4. मुनि प्रमाण सागर : जैन तत्वविद्या, पृ0– 16 प्रथमानुयोग
5. ऋग्वेद, 10/94/11
6. श्रीमद्भागवत 4/6/19/569
7. डॉ0 वासुदेव शरण अग्रवाल : प्रकाशक जैन साहित्य का इतिहास, पृ0–13
8. अथर्ववेद, काण्ड– 14/22
9. वही
10. वही, 15/45/57
11. भगवत स्कन्द– 12 अ0 3/18/19
12. विष्णु पुराण–2/1
13. मत्स्य पुराण, अ0–12/ 54–55
14. बलभद्र जैन : जैन धर्म की प्राचीनता, पृ0–11
15. डॉ0 शेखरचन्द्र जैन : जैन धर्म और दर्शन, पृ0–6
16. डॉ0 राधाकुमुद मुखर्जी : हिन्दू सभ्यता, हिन्दी संस्करण, दि0सं0 1958, पृ0 23
17. वही
18. आ0 जिनसेन : आदि पुराण, सं0 19, श्लोक 3,6
19. आ0 जिनसेन : आदि पुराण, सं0 19, श्लोक 9,10
20. आ0 जिनसेन : आदि पुराण, सं0 19, श्लोक 11,12,13

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

जनपद मुरादाबाद का एक संक्षिप्त भौगोलिक अध्ययन (धरातल व नदियों के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ0 अनिल कुमार
ब्लॉक कालोनी, दलपतपुर
पो0– अक्का डिलारी, जि0– मुरादाबाद

प्रस्तावना :

जनपद मुरादाबाद भारत के प्रान्त 'उत्तर प्रदेश' के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जनपद $28^0$16 उत्तरी अक्षांश से $28^0$21 उत्तरी अक्षांश तक, तथा $78^0$4 से 79^0 पूर्वी देशान्तर तक फैला है। इसका धरातलीय ढलान उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर है। जनपद की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 200 मीटर है।[1] मुरादाबाद नगर यहां का जिला मुख्यालय है, जो यहां के पीतल–व्यवसाय के कारण विश्वप्रसिद्ध है। आज के दो जिले अमरोहा व सम्भल कभी जिला मुरादाबाद के ही अंग थे, जिन्हें नये जनपदों के रूप में क्रमशः 1997 व 2011 में इससे अलग कर दिया गया।

यह इस जनपद का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि गंगा–जमुना के स्तर की नदी रामगंगा इस जनपद से होकर गुजरती है, जो पहाड़ों से लाई मिट्टी इस क्षेत्र में छोड़ती है। रामगंगा के अतिरिक्त और भी कई नदियां हैं, जो पर्वतीय स्थलों से उद्गम के साथ ही इस नदी में मिल जाती हैं, और भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। यही कारण है कि यहां की भूमि कई तरह की उपजाऊ मिट्टियों के कारण शस्य श्यामला है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है।

अतः प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से देखा जाए, तो मुरादाबाद जनपद एक धनी जनपद है। यहां अनेक नदियां हैं, जिनमें कुछ नदियां बरसाती व कुछ सदाबहार हैं।

धरातलीय संरचना :

धरातीय दृष्टि से देखा जाए, तो जनपद मुरादाबाद का धरातल उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर ढलान होने के साथ ही कई प्रकार की मिट्टी से बना है।

तराई क्षेत्र से निकटता के कारण इस जनपद का उत्तरी भाग उससे प्रभावित है, और उत्तर में हिमालय पर्वत की निकटता के कारण दक्षिण के मुकाबले इसकी ऊँचाई अधिक है। इसी कारण जहां उत्तर में जनपद की समुद्र तल से ऊंचाई 234 मीटर है, वहीं दक्षिण में 177 मीटर। जनपद को धरातलीय दृष्टि से निम्न भागों में बांटा जा सकता है–

1. रामगंगा खादर–

यह क्षेत्र जनपद के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली रामगंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गयी उपजाऊ मिट्टी से बना है। यह

चित्र–1

भारत में उत्तरप्रदेश की स्थिति[2]

चित्र–2

उत्तरप्रदेश में जनपद मुरादाबाद की स्थिति[3]

भूभाग रामगंगा नदी के दोनों ओर फैला है। यद्यपि इस क्षेत्र में भूजल की समस्या तो नहीं है, किंतु रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध के बनने तथा वर्षा की मात्रा कम होने से रामगंगा में पानी की कमी के कारण रेतीले क्षेत्र में वृद्धि हुई है। फिर भी यहां उत्तम प्रकार की दोमट व मटियार मिट्टी पायी जाती है। इसीलिए यहां पर रबी की फसल अच्छी होती है। जनपद में मुरादाबाद व मूंढापांडे विकासखण्डों में इस खादर का विस्तार है।

2. उत्तर–पूर्वी तराई क्षेत्र–

जनपद की ठाकुरद्वारा तहसील में इस भूभाग का फैलाव पाया जाता है। यह भूभाग रामगंगा नदी के खादर के उत्तर–पूर्व में स्थित है। उत्तराखण्ड के जनपद उधमसिंह नगर की सीमा से सटे होने के कारण इस भूभाग की धरातलीय विशेषताएं अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। पर्वतीय क्षेत्र की निकटता के कारण इस भूभाग को उत्तरी पूर्वी तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र 906 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस भूभाग के दक्षिणी भाग पर मटियार मिट्टी का विस्तार है। शेष अधिकांश भाग पर दोमट मिट्टी पायी जाती है। इस क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर काफी ऊँचा है। इसीलिए यहां पर गेंहू, धान, गन्ना, चना एवं अलसी की अच्छी फसल होती है।

3. कटेहर क्षेत्र–

यह क्षेत्र बिलारी तहसील में पाया जाता है। इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा जनपद रामपुर, एवं दक्षिणी सीमा जनपद सम्भल को स्पर्श करती है।

यह समतल तथा उपजाऊ क्षेत्र है। यहां अच्छी किस्म की दोमट मिट्टी है, तथा कहीं–कहीं मटियार तथा रेतीली मिट्टी भी मिलती है। उपजाऊ होने के कारण यहां गेहूं, धान, गन्ना, दलहन तथा मोटे आनाज की अच्छी खेती होती है।

चित्र–2
जनपद मुरादाबाद की धरातलीय स्थिति सन् 2011[4]

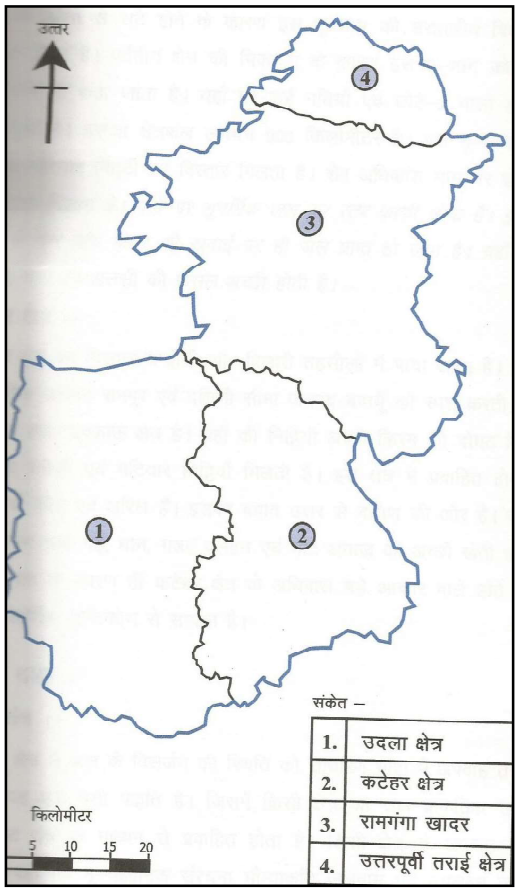

जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त उदला क्षेत्र भी इसके दक्षिण–पश्चिम भाग में पाया जाता है, किंतु नवसृजित जनपद अमरोहा में इसका अधिकांश भाग चला गया।

अपवाह तन्त्र :

किसी क्षेत्र में जल के विसर्जन की स्थिति को साधारण भाषा में अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र के निर्धारण में वहां की भू–वैज्ञानिक संरचना, धरातलीय स्थिति, जलवायु एवं उपलब्ध जल की मात्रा का विशेष प्रभाव होता है।[5] सामान्यतः अपवाह तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जलधाराएं, वर्षाकाल में निचले भूभागों में भरने वाला जल, एवं उससे निर्मित गड्ढे, पोखर, तालाब, झीलों के साथ भूगर्भित जल को सम्मिलित किया जाता है, किंतु प्रस्तुत शोधपत्र में हम इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों को ही सम्मिलित कर रहे हैं, जो इस प्रकार है–

1. रामगंगा नदी–

जनपद मुरादाबाद के उत्तरी–पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली रामगंगा नदी जनपद के अपवाह तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नदी उत्तराखण्ड के चमोली जिले की पहाड़ियों से निकलकर मुरादाबाद जनपद की ठाकुरद्वारा तहसील में उत्तरी–पश्चिमी किनारे में प्रवेश करती है। कालागढ़ में इस नदी पर बांध बन जाने से इस नदी का प्रवाह अनियमित है। इस नदी के पश्चिम किनारे पर बहुत–सी जलधाराएं सहायक नदियों के रूप में आकर इसमें मिल जाती हैं। इनमें लपकना, ढेला और रझेड़ा हैं। यह नदी अपने मार्ग में कई स्थानों पर दिशा परिवर्तित करती है। इस नदी का प्रवाह मुख्य रूप से जनपद की मुरादाबाद एवं ठाकुरद्वारा तहसीलों में है। बाढ़ एवं कटाव के कारण रामगंगा नदी के प्रवाह में अनेक मोड़ दिखाई देते हैं।

2. कोसी नदी–

यह नदी जनपद मुरादाबाद की पूर्वी सीमा का निर्धारण करके रामपुर जनपद को

चित्र–2

जनपद मुरादाबाद के अपवाहतंत्र 2011 (नदियां) [6]

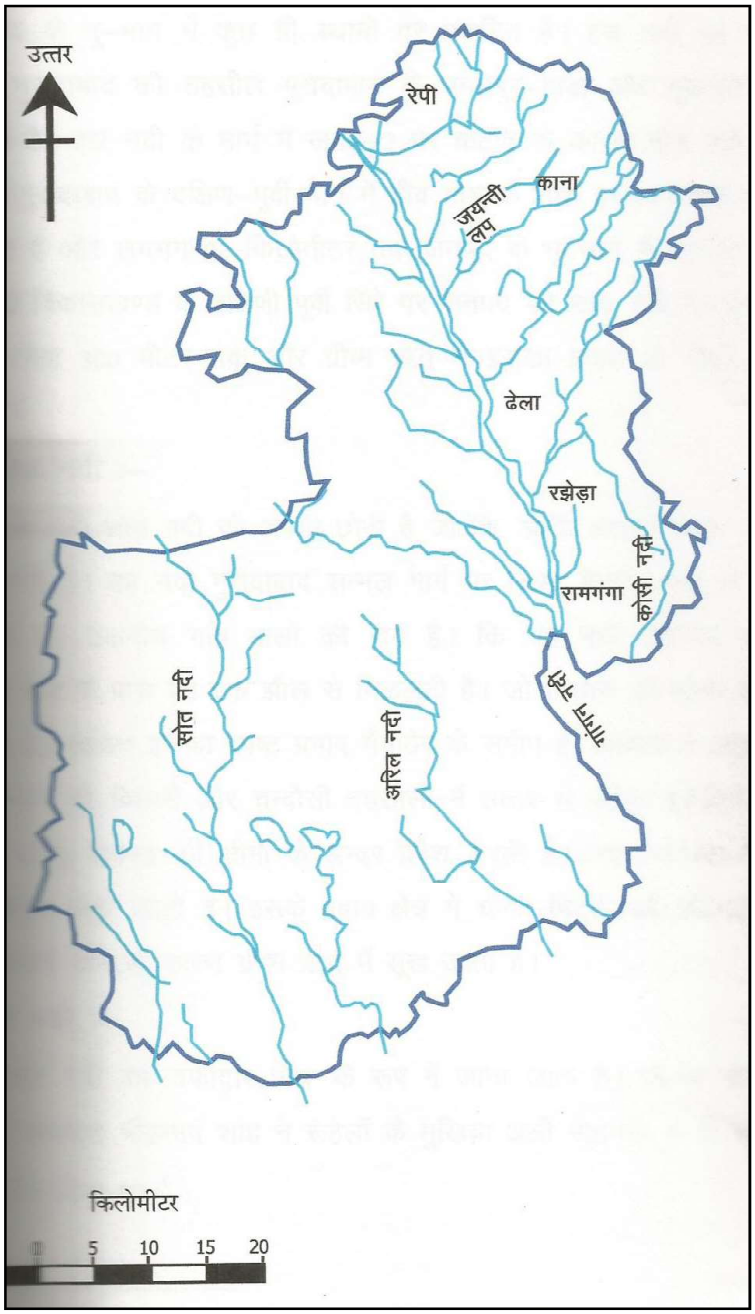

मुरादाबाद जनपद से अलग करती है। अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्‌गम जनपद अल्मोड़ा की पहाड़ियां हैं। यह नदी मुरादाबाद के बहुत कम क्षेत्र में प्रवाहित है। जनपद में इसका प्रवाह मात्र मुरादाबाद तहसील के भगतपुर टांडा और मूंढापाण्डे विकासखण्डों में है। इस नदी के मार्ग में जगह–जगह पर कटाव के कारण मोड़ पाये जाते हैं। तहसील मुरादाबाद के दक्षिण–पूर्वी भाग में तीव्र मोड़ के साथ इसका प्रवाह पश्चिम को हो जाता है। उसके आद लगभग दो किलोमीटर तक जनपद के भूभाग में प्रवाहित होती हुई मूंडापाण्डे विकासखण्ड के दक्षिण–पर्वी सिरे पर जनपद को छोड़ देती है तथा आगे चलकर यह नदी रामगंगा नदी में मिल जाती है।

3. अरिल नदी–

यह नदी 'आरी' अथवा 'अरल' के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी मुरादाबाद–सम्भल मार्ग पर स्थित मैनाठेर गांव के समीप से निकलती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह नदी तहसील सम्भल के 'गुमशुम' गांव से निकलती है, जो बिलारी की सीमा के बिल्कुल पास है। यद्यपि इसका लगभग सम्पूर्ण भाग अब नवनिर्मित जनपद सम्भल में चला गया है।

4. सोत नदी–

इस नदी के रास्ते में विभिन्न स्रोत होने के कारण इसका नाम सोत नदी पड़ा था। सोत नदी को 'वफादार मित्र' के रूप में जाना जाता है। इसका यह नाम (यार–ए–वफादार) बादशाह मौहम्मद शाह ने रूहेलों के मुखिया अली मोहम्मद के खिलाफ चढ़ाई करते समय दिया था।[7]

इस नदी का उद्‌गम अमरोहा तहसील के पीलाकुण्ड गांव में है। वहां से नगला, खोकर, धनेटा, सोतीपुर, घोसीपुरा, इसाकपुर, मनौटा, चन्दवार, भवानीपुर तथा बाद में चन्दौसी के दक्षिण होती हुई बदायूं जनपद में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार नवसृजित जिलों अमरोहा व सम्भल में इसका अधिकांश मार्ग चला गया है। अपने प्रवाह में यह नदी स्थान–स्थान पर मोड़ बनाती है। यद्यपि आजकल यह नदी नाममात्र को ही रह गयी है, किंतु विगत लगभग 25–30 वर्ष तक यह सदाबहार थी। कुछ वर्ष पूर्व इस नदी को जीवित करने की सरकार की योजना थी, किंतु अब लगता है कि यह योजना ठण्डे बस्ते में चली गयी है।

5. बान नदी–

यह नदी गांगन नदी की सहायक नदी है, जो जनपद बिजनौर से निकल कर अमरोहा जनपद की तहसील अमरोहा के कल्याणपुर गांव के समीप जनपद मुरादाबाद में प्रवेश करती है। अमरोहा तहसील में प्रवाहित होती हुई हकीमपुर के समीप गांगन नदी में प्रवेश करते समय इसका प्रवाह मार्ग कुछ उत्तर–पूर्व की ओर हो जाता है। पुनः यह नदी उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पूर्व की ओर बहती हुई गांगन नदी में मिल जाती है।

6. गांगन नदी–

इस नदी का उद्‌गम स्थल बिजनौर है। वहां से निकलकर अमरोहा तहसील के कोडकुइयां गांव के समीप जनपद मुरादाबाद में प्रवेश करती है। मुरादाबाद नगर की जड़ में बहती हुई, बाद में बिलारी तहसील में होती हई जनपद बदायूं में प्रवेश कर जाती है।

7. करूला नदी–

यह नदी भी बान नदी की तरह गांगन नदी की सहायक नदी है, जो जनपद बिजनौर से निकलती है और मुरादाबाद की कांठ तहसील में बहती हुई मुरादाबाद नगर में होकर गांगन में मिल जाती है। इसका प्रवाह उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर है।

8. लपकाना नदी–

उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल से निकलकर यह नदी मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के उत्तर पश्चिम 'रघुवाला' गांव के समीप जनपद में प्रवेश करती है। इसका प्रवाह उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम को है। इसे लपकाना नाला और

कुरका नदियों का जल भी प्राप्त होता है। तहसील ठाकुरद्वारा के डिलारी विकासखण्ड के मक्खरपुर का भी जल इसमें मिल जाता है।

9. ढेला नदी–

उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील के गांव कल्याणपुर के समीप मुरादाबाद जनपद में प्रवेश करती है। तहसील ठाकुरद्वारा में इसका प्रवाह उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पूर्व की ओर है। मुरादाबाद के उत्तर में यह नदी रामगंगा में मिल जाती है।

10. रझेड़ा नदी–

यह भी रामगंगा की सहायक नदी है। इसका उद्‌गम स्थल भगतपुर टांडा विकासखण्ड के पास एक छोटा–सा गर्त है। वहां से निकलकर उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई मुरादाबाद नगर के दक्षिण पूर्व में सम्भल रामसहाय गांव में रामगंगा में आकर मिल जाती है।[8]

उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त जनपद में रामगंगा की सहायक जब्ली, खेलना आदि और भी कई छोटी–छोटी नदियां हैं, जो उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल की पहाड़ियों से निकलती हैं।

इस प्रकार देखा जाए, तो जनपद मुरादाबाद वास्तव में धरातलीय व अपवाह तन्त्र के आधार पर एक धनी जनपद है, किंतु विगत कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा न होने व भूमिगत जल का अधिक दोहन होने के कारण यहां हुई जल की कमी से कई बार सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। कई नदियां भी अपना वास्तविक रूप खो चुकी हैं। उक्त क्षेत्र में यदि नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाए, तो भूमिगत जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और जो नदियां सूख चुकी हैं, वे भी सदाबहार की स्थिति में आ सकेंगी। निश्चय ही सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

: संदर्भ सूची :

(1) गूगल मैप
(2) वही
(3) गूगल मैप
(4) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ मुरादाबाद, 1968
(5) यादव, जी0पी0 एवं रामसुरेश : भौगोलिक परिभाषा कोष, किताबघर, आचार्यनगर, कानपुर, 1986, पृ0–134
(6) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ मुरादाबाद, 1968
(7) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ मुरादाबाद, 1968, पृ0–10
(8) विलवाक्स, मानव भूगोल, साहित्य भवन, आगरा, पृ0–355

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

जनपद मुरादाबाद की मिट्टी, वनस्पति व वन्यजीवों का एक संक्षिप्त भौगोलिक अध्ययन

डॉ0 अनिल कुमार
ब्लॉक कालोनी, दलपतपुर
पो0– अक्का डिलारी, जि0– मुरादाबाद

प्रस्तावना :

जनपद मुरादाबाद भारत के प्रान्त 'उत्तर प्रदेश' के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जनपद $28^0$16 उत्तरी अक्षंश से $28^0$21 उत्तरी अक्षांश तक, तथा $78^0$4 से 79^0 पूर्वी देशान्तर तक फैला है। इसका धरातलीय ढलान उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर है। जनपद की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 200 मीटर है।[1] मुरादाबाद नगर यहां का जिला मुख्यालय है, जो यहां के पीतल–व्यवसाय के कारण विश्वप्रसिद्ध है। आज के दो जिले अमरोहा व सम्भल कभी जिला मुरादाबाद के ही अंग थे, जिन्हें नये जनपदों के रूप में क्रमशः 1997 व 2011 में इससे अलग कर दिया गया।

प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से देखा जाए, तो मुरादाबाद जनपद एक धनी जनपद है। यहां अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें कुछ नदियां बरसाती व कुछ सदाबहार हैं। यह इस जनपद का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि गंगा–जमुना के स्तर की नदी रामगंगा इस जनपद से होकर गुजरती है, जो पहाड़ों से लाई मिट्टी इस क्षेत्र में छोड़ती है। रामगंगा के अतिरिक्त और भी कई नदियां हैं, जो पर्वतीय स्थलों से उद्गम के साथ ही इस नदी में मिल जाती हैं, और भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। यही कारण है कि यहां की भूमि कई तरह की उपजाऊ मिट्टियों के कारण शस्य श्यामला है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है।

जनपद मुरादाबाद का धरातल उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर ढलान होने के साथ ही कई प्रकार की मिट्टी से बना है। तराई क्षेत्र से निकटता के कारण इस जनपद का उत्तरी भाग उससे प्रभावित है और उत्तर में हिमालय पर्वत की निकटता के कारण दक्षिण के मुकाबले इसकी ऊँचाई अधिक है। इसी कारण जहां उत्तर में जनपद की समुद्र तल से ऊंचाई 234 मीटर है, वहीं दक्षिण में 177 मीटर। इन्हीं सब कारणों से मुरादाबाद जनपद में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पायी जाती है, और किसी भी क्षेत्र की मिट्टी ही उसके उपजाऊ गुणों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि देश में जिन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां फसल अच्छी व जहां की मिट्टी अनुपजाऊ होती है, वहां की फसल अच्छी नहीं होती, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र।

इस तरह मिट्टियां किसी भी क्षेत्र की

चित्र–1
भारत में उत्तरप्रदेश की स्थिति

चित्र–2
उत्तरप्रदेश में जनपद मुरादाबाद की स्थिति

कृषि को सामाजिक, आर्थिक स्तर बनाने और उनकी कृषि व्यवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मिट्टियां ही मानव सभ्यता के इतिहास का मापदण्ड हैं।[1]

जनपद मुरादाबाद की मिट्टियां गंगा के मैदानी भाग का एक अभिन्न अंग होने के कारण और नदियों के द्वारा निपेक्षित होने के कारण काफी उपजाऊ और बरीक कणों वाली हैं। समझा जाता है कि इन मिट्टियों का निर्माण टरशरी युग के बाद हुआ और टेथिस सागर में होने वाले निक्षेपण से इसका गहरा संबन्ध है।[2]

अध्ययन क्षेत्र जनपद मुरादाबाद की मिट्टियों के संदर्भ में पंतनगर विश्वविद्यालय के जल और मृदा संस्थान द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गयी है। उसके अनुसार इस जनपद की मिट्टियों का रासायनिक और भौतिक स्वरूप अभी भी पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इनका विवरण निम्नप्रकार है–

1. दलदली मिट्टी–

यह मिट्टी जनपद मुरादाबाद के दक्षिणी भाग में पायी जाती है, जिसमें बिलारी तहसील का भाग सम्मिलित है। यह मिट्टी मुख्य रूप से सोत नदी के खादर में उदला क्षेत्र के पश्चिमी भाग में एक संकरी पट्टी के रूप में पायी जाती है। बरसात के दिनों में पानी का भराव हो जाता है, तथा पानी निकासी का कोई उचित प्रबन्ध न होने के कारण जलस्तर काफी ऊँचा हो जाता है, जिसके कारण यहां की मिट्टी दलदली या चिपचिपी बनी रहती है। इसमें आर्द्रता की मात्रा 75 प्रतिशत से अधिक रहती है। ह्यूमस की मात्रा 1 प्रतिशत

चित्र–3
जनपद मुरादाबाद में मिट्टियों का क्षेत्रीय वितरण

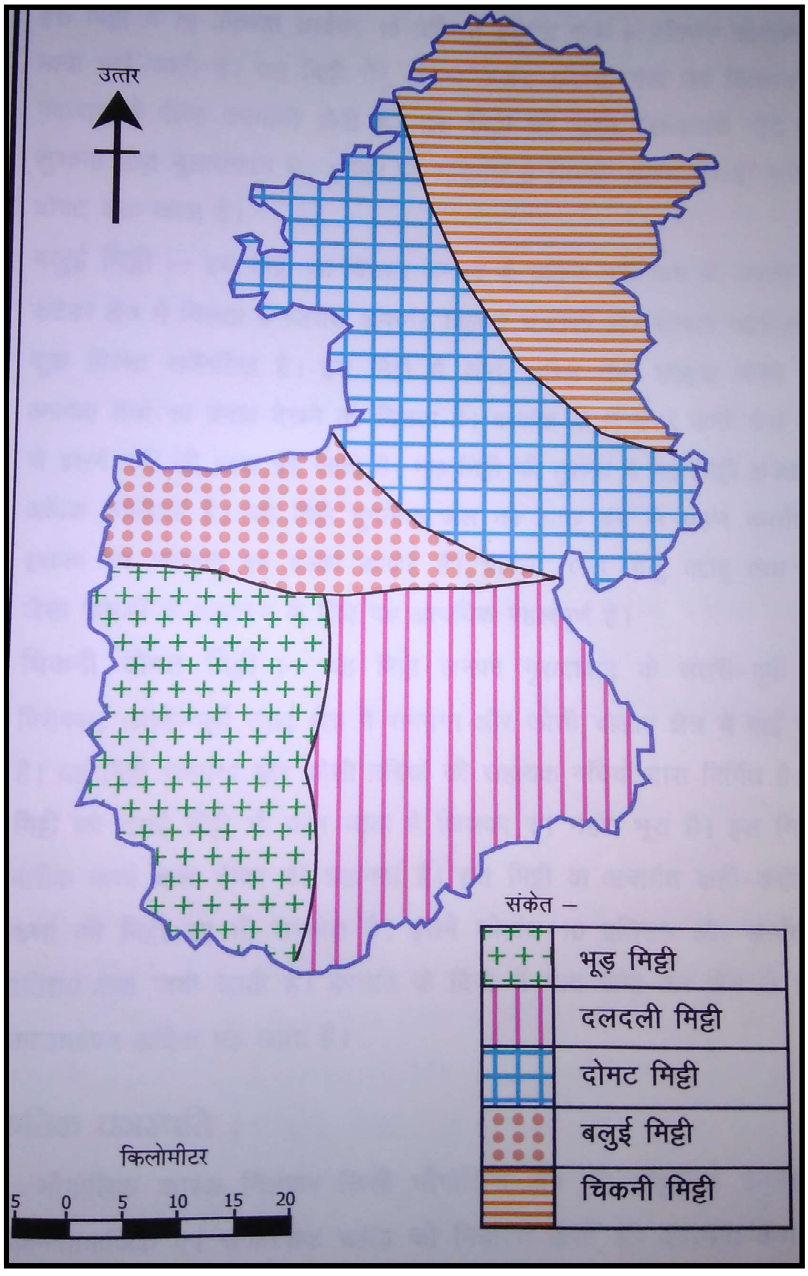

तथा लोहांश की मात्रा 7.5 प्रतिशत से अधिक पायी जाती है। ऐसी मिट्टी गीली रहने पर फसल के अयोग्य होती है, किंतु मिट्टी के सूख जाने पर यहां के निवासी अच्छी फसलें उत्पन्न कर लेते हैं।

2. दोमट मिट्टी–

यह मिट्टी अधिकांश अध्ययन क्षेत्र की मुरादाबाद तहसील में पायी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इस मिट्टी का उपजाऊपन अपेक्षाकृत कम होता है। इस मिट्टी में 75 प्रतिशत आर्द्रता, 10 प्रतिशत ह्यूमस तथा 9 प्रतिशत लोहांश की मात्रा पायी जाती है। यह मिट्टी गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना एवं तिलहन की पैदावार के लिए उपयोगी होती है। इस मिट्टी की मुख्य विशेषताएं मोटे कण, शुष्कता तथा मुलायमपन है। इसका रंग मटियार है, जिसके कारण इसको मटियार दोमट कहा जाता है।

3. बलुई मिट्टी–

इस मिट्टी का विस्तार जनपद के दक्षिण–पूर्वी भाग के उदला और कटेहर क्षेत्र में मिलता है, जिसके अन्तर्गत बिलारी तहसील का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। इस मिट्टी में सोत, अरिल जैसे अपवाह तंत्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। बरसात के दिनों में पानी फैल जाने से इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। भूड़ मिट्टी की तुलना में यह मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है। यह मिट्टी भूगर्भिक जल को अच्छे ढंग से ग्रहण करती है। इसका रंग मटियार एवं हल्का कत्थई है। चावल, गन्ना, गेहूं, आलू तथा मैंथा जैसी फसलों के उत्पादन के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

4. चिकनी दोमट मिट्टी–

यह मिट्टी जनपद मुरादाबाद के उत्तरी–पूर्वी भाग, विशेषकर उत्तरी–पूर्वी तराई क्षेत्र में रामगंगा और कोसी दोआब क्षेत्र में पायी जाती है। यह मिट्टी रामगंगा और कोसी नदियों की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इस मिट्टी को तराई मिट्टी भी कहा जाता है, जिसका रंग गहरा भूरा है। इस मिट्टी में बारीक कणों वाले चीका की प्रधानता है। इसके अन्तर्गत कहीं–कहीं मोटे कणों की मिट्टी का भी समावेश है। इसमें लोहांश 10 प्रतिशत और आर्द्रता 80 प्रतिशत तक पायी जाती है। बरसात के दिनों में गाद जमा कर लेने से इसका उपजाऊपन अधिक बढ़ जाता है।

प्राकृतिक वनस्पति :

भौगोलिक कारक मिलकर किसी भौगोलिक क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व को निर्धारित करते हैं। वनस्पति वन्य जीवों के लिए न केवल शरण देने की स्थली होती है, वरन् प्रत्येक जीव का भोजन, किसी न किसी रूप में प्राकृतिक वनस्पति होती है। वनस्पति के महत्व को स्पष्ट करते हुए ब्लाश महोदय ने लिखा था कि ''किसी भी भू–भाग में जाने पर सबसे पहले हमारा ध्यान प्राकृतिक वनस्पति ही आकर्षित करती है। यदि वह प्रचुर मात्रा में हुई, तो हमें आश्चर्य होता है, और यदि न्यूनतम मात्रा में हुई, तो हमें दुख होता है। वह मानव से नैसर्गिक संबन्ध स्थापित करती है। शायद इसी कारण हम कभी–कभी विश्व की जनसंख्या को वन–प्रदेशीय और ध्रुवीय आदि भागों में बांट देते हैं। सच तो यह है कि वनस्पति का प्रकार तथा उसका होना ही एक प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है। प्राकृतिक वनस्पति के अन्तर्गत अनेक प्रकार के पेड़, पौधे तथा लताएं आदि सम्मिलित की जाती हैं, जैसे– पीपल, खजूर, बरगद, बबूल, बांस, सिरस, सल्गाई, पतवार, काइयां, शैवाल, घास और झाड़ियां आदि।[3]

जनपद मुरादाबाद मानसूनी जलवायु वाले भू–भाग का ही एक अभिन्न अंग है। दशकों पूर्व जनपद में वनों के विस्तार और उनकी सघनता के अभिलेख उपलब्ध हैं। लेकिन धीरे–धीरे इन वनों का विनाश होता चला गया। यह विनाश निर्विवाद रूप से जनपद की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति के संदर्भ में हुआ। अध्ययन–क्षेत्र जनपद मुरादाबाद में वनों के

अन्तर्गत 64 हेक्टेयर क्षेत्रफल वनों के अन्तर्गत सम्मिलित है, जो सकल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (375979 हेक्टेअर) का 0.01 प्रतिशत है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक वनों का विस्तार ठाकुरद्वारा विकासखण्ड में पाया जाता है।

अध्ययन–क्षेत्र जनपद मुरादाबाद में नदियों के खादर में झाऊ (टैमेरिक्स डिओसिया), ढाक तथा बबूल (एकेसिया अरेबिका) के वृक्ष अधिक पाये जाते हैं। यहां पर एक विशिष्ट प्रकार की घास पायी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में 'पटेर' घास के नाम से जाना जाता है। यह घास चटाई बनाने के काम आती है। किसी समय जनपद मुरादाबाद के कटेहर क्षेत्र में और उत्तरी मध्यवर्ती भाग में ढाक के जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब यहां पर नाममात्र की वनस्पति है। ढाक के वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तरी–पूर्वी तराई क्षेत्र में साल (सोरिया रोक्यूटा) के वृक्षों के साथ–साथ पापुलर (पाफलस) और यूकेलिप्टिस के वृक्ष देखने को मिलते हैं। सामान्यतः जनपद में पर्णपाती मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति में मुख्य रूप से ढाक, साल (सोरिया रोब्यूटा), बबूल (एकेसिया अरेबिका), पीपल (फोकस रेलीगिओस), खजूर (फोनिक्स सिल्वे स्टिक), बरगद (फीकस वेगलैंसिस), आम (मैग्नी फेरा इण्डिका), अमलतास (कैसियाफिस लूला), खैर (अकेलिया कटेचू), यूकेलिप्टिस सझाऊ (डैमरिक्स डिवोसिया), करील (कपारिस डेसीडुब्बा) आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

वन्य जीव :

ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जनपद मुरादाबाद वन्यजीवों के लिए अभ्यारण्य रहा है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि फिरोजशाह तुगलक (1351–1358 ई0) मध्यवर्ती कटेहर क्षेत्र में शिकार करने के उद्देश्य से कई वर्षों तक घूमता रहा।[4]

थलचर–

मुरादाबाद जनपद में निरंतर जनसंख्या वृद्धि एवं उदरपूर्ति के साधनों हेतु भूमि के लिए अधिकांश वनों को साफ कर दिया गया, जिससे वनों के साथ ही यहां पाए जाने वाले वन्य जीवों में धीरे–धीरे कमी आती जा रही है, और बहुत–से पशुओं की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। वर्तमान में जंगली पशुओं में नीलगाय (ब्लूबुल), हिरन, बिज्जू (इण्डियन रैफिल), सियार/गीदड़ (जैकाल), लोमड़ी (फोक्स), बन्दर (रूसस मंकी), खरगोश (लैप्स निगरी कोलिस) मुख्य रूप से पाये जाते हैं। कभी–कभी जंगली सूअर, स्याही (पारकथी) भी यहां देखने को मिलता है।[5]

नभचर–

पक्षियों में यहां तोता (पैरट), सारस (क्रेन), बगुला, कबूतर (पीजन), कठफोड़ा, कोयल, मोर, बटेर, गिद्ध (वल्चर), गोरैया, चील (ब्लैक काइट), वेला आदि अनेक छोटे–छोटे पक्षी पाये जाते हैं।

जलचर–

नदियों के तटवर्ती भागों में जलमुर्गी (ग्रेलाग), तथा तालाबों में मछलियां और कछुए (टारटाइज) पाये जाते हैं। जाड़ों के दिनों में देश के अन्य भागों से नदियों के तटवर्ती भागों में अन्य पक्षी आ जाते हैं। तथापि कुल मिलाकर जनपद मुरादाबाद वन्य जीवों के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता।

: संदर्भ सूची :

(1) विलवाक्स, मानव भूगोल (चतुर्भुज मैमोरियल), साहित्य भवन, आगरा, पृ0–355

(2) ब्रियान, वी0टी0, दि ज्योग्राफी ऑफ स्वायल, लन्दन, 1969

(3) व्हाइट, सी0एल0 एवं रेनर, जी0टी0, ज्योग्राफी– ए इण्ट्रोडक्शन टू ह्यमैन ज्योग्राफी, पृ0–297

(4) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ मुरादाबाद, 1968, पृ0–22

(5) Google.com

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

ICT IN OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) FOR HIGHER EDUCATION OF TRIBAL'S

Dr. Amit Chaturvedi
Regional Director,
Indira Gandhi National
Open University (IGNOU)
Regional Centre, Bhopal,
Madhya Pradesh, India

Dr. Bhanu Pratap Singh
Assistant Regional Director,
Indira Gandhi National
Open University (IGNOU)
Regional Centre, Noida,
Uttar Pradesh, India

Dr. S.R. Nayak
Assistant Regional Director,
Indira Gandhi National Open
University (IGNOU)
Regional Centre, Bhopal,
Madhya Pradesh, India

Abstract :

Dissemination of Higher education in tribal areas is a challenging task mainly due to their socio-economic condition and ethno cultural settings. In the present paper an attempt has been made to develop effective Information and Communication Technology (ICT) based delivery mechanism model for the dissemination of higher education in predominantly tribal areas of Madhya Pradesh. It may be noted that in Madhya Pradesh one- fifth (21.08 percent) of its population constitute tribal population. On the other hand, the enrolment share of tribal population in higher education is approximately 2 per cent which is significantly low considering the population share of tribal people. The concentration of tribal population is relatively more in **Dhar, Jhabua, Betul, Alirajpur and Badwani Districts**. IGNOU has made sincere attempt to disseminate higher education by establishing its Special Study Centres (SSCs) in Tribal areas and these centres are mainly activated for under graduate programmes, Bachelor Preparatory Programme (BPP), and Computer Literacy Programme (CLP). In this paper information collected from secondary sources will be analysed besides taking the perception of key informants into consideration by visiting tribal districts. Paper also seeks to analyse the intervention Open and Distance Learning (ODL) institutions in addressing the issues of Higher education in this area. Further In this paper an attempt will also be made to assess how information and communication technology can enhance the accessibility with equity. Therefore, benefit of using **MeLT Van** will also be analysed and presented in the paper. Attempt will also be made to suggest suitable strategy to enhance access and equity of quality higher education in this area through ODL mode. The paper will chalk out a detailed strategy to make wide spread use of MeLT Van in the tribal areas to higher education accessible through ODL intervention in order to bridge the

existing gap so that knowledge and skill of the youth can be enhanced and this will have cascading effects on the living standard of this unreached section of populace.

Keywords: MeLT Van, CLP, ODL, BPP

Introduction :

The focus of this paper is to examine the role of Information and Communication Technology (ICT) in higher education in tribal areas. The emergence of ICT has fundamentally changed the practices of not only business and governance but education as well. While the world is moving rapidly towards digital media, the role of ICT in education has become increasingly important. There has been an unprecedented growth in the use of ICTs in teaching, research and extension activities. The sudden boom in Information Technology has transformed the way how knowledge is disseminated today. India has innumerable challenges in terms of infrastructure, socio-economic, linguistic and physical barriers for people who wish to access education (Bhattacharya & Sharma, 2007). However, it is hoped that ICT can transform the educational scenario in the country. The emancipatory and transformative potentials of ICT in higher education in India have helped increase the country's requirement of higher education through part-time and distance-learning schemes. It can be used as a tool to overcome the issues of cost, less number of teachers, and poor quality of education as well as to overcome time and distance barriers (McGorry, 2002). Mooij (2007) states that differentiated ICT based education can be expected to provide greater reliability, validity, and efficiency of data collection and greater ease of analysis, evaluation, and interpretation at any educational level. UNESCO (2002) highlights how the application of ICT could benefit the students, employers and the government. While technology can bring about a learner-centered approach, it could also be harnessed for multiple purposes such as increasing the capacity and cost effectiveness of education and training systems and enhance the quality of higher education.

Higher Education Scenario in India :

Indian higher education system is one of the largest in the world. There were only 20 universities and 500 colleges with 0.1 million students at the time India attained independence. India has one of the largest higher education systems in the world consisting of over 789 universities according to UGC as on 2017. However, this growth in numbers does not reflect much improvement in the delivery of higher education in the country.

Table No. 1

Number of Universities in India as on 22.02.2017

Sl. No.	*Universities*	*Total No.*
1.	State Universities	359
2.	Deemed to be Universities	123
3.	Central Universities	47
4.	Private Universities	260
5.	**Total**	**789**

Source: UGC **Figure – 1**

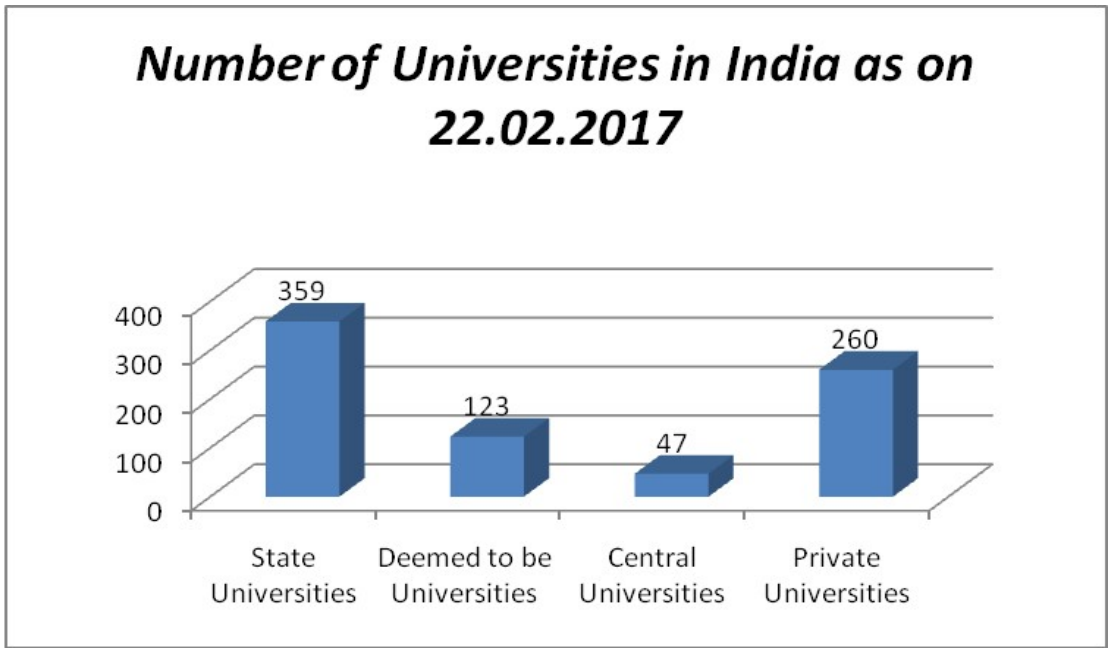

The higher education system in India continues to suffer due to inadequate access to technology and inequity. The large numbers of state universities (45.50%) out of total Universities are established in India followed by Private Universities (32.95%), Deemed Universities(15.59%) but on the other hand the percentage share of Central Universities(5.96%) in our country is significantly very low in our country. However, the application of ICT in higher education has not only brought about diversification in higher education but has also fostered new avenues for international mobility of traditional and non-traditional students (Pegu, 2014). While it is believed that ICT can transform the educational scenario in the country, it should address the needs and perform multiple roles in higher education to benefit all stakeholders. This sense of urgency and the continuous implementation of ICT in higher education has led many universities and colleges into a more action-oriented adaptation approach (Schmidtlein & Taylor 2000). Pedro (2001) observes that the focus is often more on the end product than on the premises and processes behind a well-functioning incorporation of ICT in teaching and learning.

The Concept: Indigenous 'tribes'

The term "indigenous and tribal peoples" is a general denominator for distinct peoples who have been pursuing their own concept and way of human development in a given geographical, socio-economic, political and historical context. Throughout history, these peoples have struggled to maintain their group identity, languages, traditional beliefs, worldviews and ways of life, and the control of their lands, territories and natural resources. Indigenous peoples' cultures, governance institutions and knowledge

systems are often closely related to their traditional occupations. Indigenous peoples often have much in common with other marginalized segments of society. They may have weak political representation and participation, limited access to social services, and face discrimination and exploitation in the labour market. They collectively pursue livelihood strategies, values and aspirations that may be fundamentally different from other sections of society. They have distinctness in their identity as of other groups of the society (ILO Convention, 2007).

On the basis of certain specific characteristics some human societies are defined as tribal societies across the world. These characteristics are not uniform for every society. But there are certain characters universal to all of them; at least they had derived from such a social arrangement at certain point of time. According to the ILO Convention No. 169 indigenous and tribal peoples are those peoples "whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations" (Sonowal, 2008).

In India we come across many social groups or societies who might have some of these characteristics. But all of them are not denoted as tribal groups. The term tribe is more functional in nature in India. There was a purpose to declare or recognize some societies as tribal societies through constitutional Act of the country. Thus when we talk of tribe we talk of the Scheduled Tribes, the social groups recognized or listed in the Schedule of the Constitution of India. Therefore, by definition, the Scheduled tribes are those social groups who are "such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this constitution" (cited in Sonowal, 2008). This delineation shows that there is no characteristic definition regarding tribal groups in India in our constitution. The recognition is done on purpose or functional aspects only. But it is generally accepted that in selecting the tribal people the following characters are taken some sort of priority: indications of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large, and backwardness.

While studying a particular tribal region we encounter the same questions that how different tribes have their own distinctiveness though they all include in a common denominator as scheduled tribes. They have the difference in their socio-cultural set up and identity though sometimes we found common economic activities in a particular region. All these differences are very common to point out from our own experiences and experiences of other studies. However with all these differences if we consider a tribal region as a compact unit to study, we found lots of external factors are responsible for their disintegration which affects their unity and helps for the division between different tribes.

Growth of Open and Distance Learning (ODL) in Higher Education :

However, Indian education system, like its economy, is one of the fastest

growing systems in the world. The pressure of the graduates from schools, opening up of the economy, liberalization and liberal policies for mass literacy and education, need for continuing professional development, commitment towards greater access and equity especially for the disadvantages and minority sections of the society, tremendous and indigenous developments in science and information and communication technology (ICT) all had their varying shares in contributing to significant policy decisions to go for alternative schooling, non-formal education, and open and distance learning in the country. Like the system of education in general, its distance education system is one of the fastest growing system globally, the Indian system of distance education is the second largest in the world and definite plans of action have contributed to this tremendous growth (Panda, Venkaiah, Garg & Puranik, 2006). The open and distance learning (ODL) system in India has emerged as an important mode for providing education to diverse sections of society. Besides, the changing dynamics of the ODL system in the last six decades have been encouraging. With the proliferation in the ICT, the boundaries of classroom or campus are becoming blurred (UGC, 2017). Most of ODL institutions of the world are using of latest information and communication technologies (ICT). Through wider coverage, ODL systems are overcoming the gap between those who have had access to education and those who have not.

India established Indira Gandhi National Open University (IGNOU) in 1985 to enhance access and equality of higher education through distance mode and to promote, coordinate and determine standards in ODE systems. IGNOU provides innovative and need based general as well as continuing education to: the person from disadvantaged groups, physically challenged; homemakers; and, those, who are based in remote areas for their educational and professional development. The university practices a flexible and open system of education in regard to methods and place of learning, combination of courses and eligibility for enrolment, age for entry and methods of evaluation, etc. IGNOU has adopted an integrated strategy for imparting instruction. This consists of providing print materials, audio video tapes, broadcast on radio and educational TV Channels, teleconferencing, video conference as also the face-to-face counselling, at its study centres located throughout the country. The University has adopted the method of continuous assessment and term-end examination for evaluation of the performance of its students enrolled in various subjects. The University began by offering two academic programmes in 1987, i.e., Diploma in Management and Diploma in Distance Education, with strength of 4,528 students. Today, it serves the educational aspirations of over 3 million students in India and other countries through 21 Schools of Studies and a network of 67 regional centres, around 2,667 learner support centres and 29 overseas partner institutions. The University offers about 228 certificate, diploma, degree and doctoral programmes, with a strength of nearly 810 faculty members and 574 academic staff at the headquarters and regional centres and

about 33,212 academic counsellors from conventional institutions of higher learning, professional organisations, and industry among others (IGNOU Profile, 2014).

With the launch of EduSat (a satellite dedicated only to education) on 20th September, 2004, and the establishment of the Inter-University Consortium, the University has ushered in a new era of technology-enabled education in the country. All the regional centres and high enrollment study centres have been provided with active two-way video-conferencing network connectivity, which has made it possible to transact interactive digital content. Emphasis is now being laid on developing interactive multimedia and online learning, and adding value to the traditional distance education delivery mode with modern technology-enabled education within the framework of blended learning. Over the years, IGNOU has lived up to the country's expectations of providing education to the marginalised sections of society. Free of cost education is being provided to all jail inmates across the country. A large number of SC/ST students have been admitted to various programmes of the University (IGNOU Profile, 2014).

IGNOU Regional Centre Bhopal is the first Regional Centre in India. It was established on 5th September, 1986. The region has seen tremendous growth over the past few years. Madhya Pradesh has two Regional Centres. These are situated at Jabalpur and Bhopal. Regional Centre Bhopal is looking after 31 districts of Madhya Pradesh and having 150 study centres, programme centres and special study centres under its jurisdiction. There are more than 50 courses run by the Regional Centre in almost every part of the state. We are trying to propagate and disseminate education to every part of our region (Tiwari, 2011). Regional Centre Bhopal caters to some of the most disadvantaged socio economic settings across the country. Under jurisdiction of Regional Centre, Bhopal ten districts are having more than 25% of tribal population.

Table No. 1.1
Tribal Population Dominated District under Jurisdiction of RC, Bhopal

Sl. No	*Name of the District*	*Total No of Population*	*Total No of ST Population*	*Percentage Share of ST Population*
1.	Alirajpur	7,28,999	6,48,638	89.0%
2	Jhabua	10,25,048	8,91,818	87.0%
3	Barwani	13,85,881	9,62,145	69.4%
4	Dhar	21,85,793	12,22,814	55.9%
5	Betul	15,75,362	6,67,018	42.3%
6	Khargone (West Nimar)	18,73,046	7,30,169	39.0%
7	Khandwa (East Nimar)	13,10,061	4,59,122	35.0%
8	Burhanpur	7,57,847	2,30,095	30.4%
9	Ratlam	14,55,069	4,09,865	28.2%
10	Harda	5,70,465	1,59,678	28.0%

Source: 2011 Census

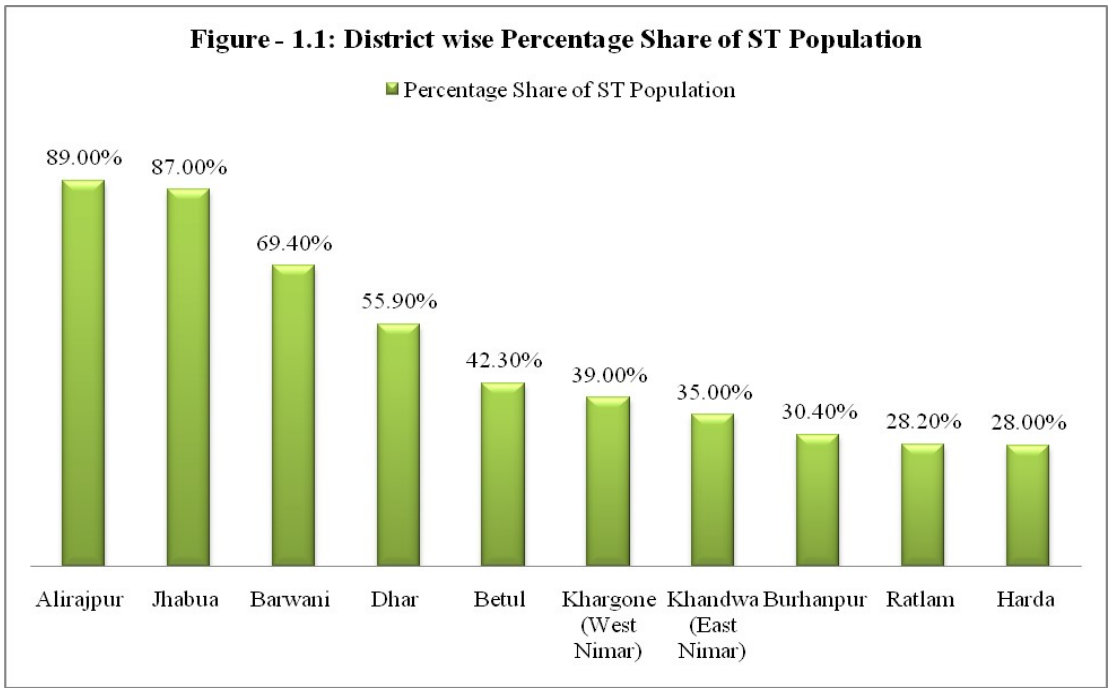

As far as tribal population in Madhya Pradesh is concerned, Alirajpur Distict is highly dominated district where the tribal population is considerably very high i.e 89.0.% followed by Jhabua (87.0%), Barwani (69.4%), Dhar (55.9%),.The districts Alirajpur, Jhabua, Barbani, and Dhar have more than 50% tribal population of the total population of the district. Whereas Betul (42.3%), Khargone earlier known as west Nimar (39.0%), Khandwa earlier Known as East Nimar (35.0%), Buranpur (30.4%), Ratlam(28.2%) and Harda (28.0%) have more than 25% but less than 50% tribal population of total population of the districts. In such districts, the opportunities of higher education are very low as the number of Universities and Institution of Higher education of repute are not significantly established by the State Government. The Open and Distance Learning can play a significant role for the dissemination of higher education by the establishing its **dedicated ICT based learner support centres** specially in tribal dominated districts **alternatively the MeLT Van highly equipped with latest ICT** can also play a leading role for providing the education in remote areas.

Table No. 1.2
District wise Enrollment status of Schedule Tribal students in 2016-17

Sl. No	*Districts*	*January-2016*	*July-2016*	*January-2017*	*Total*
1.	Alirajpur	24	102	122	***248***
2	Jhabua	9	29	23	***61***
3.	Barwani	2	3	5	***10***
4	Dhar	7	14	35	***56***
5.	Betul	3	4	9	***16***
6	Khargone (West Nimar)	15	8	23	***46***
7	Khandwa (East Nimar)	3	7	20	***30***
8.	Burhanpur	0	2	6	***8***
9.	Ratlam	0	0	1	***1***
10.	Harda	0	0	2	***2***
	Total	***63***	***169***	***246***	***478***

Through 10 districts are more than 25% of tribal population dominated under jurisdiction of Regional Centre Bhopal but these districts have little or no presence of IGNOU in terms of Enrollment during the last three admission cycles. Total 478 students belongs to the schedule Tribe were admitted in last three admission cycle as against 63,81,362 tribal population. The percentage **(.00749%)** of belongs to schedule tribes population is really a very cause concern**.**

Table No. 1.3
District wise Enrollment status of Schedule Tribal students in 2016-17

Sl. No	*Districts*	*Total No of ST Population*	*Total ST Enrolment in IGNOU Programes in District*	*Percentage of admission of Schedule Tribe students in total ST Population*
1	Alirajpur	6,48,638	***248***	0.038234
2	Jhabua	8,91,818	***61***	0.006840
3	Barwani	9,62,145	***10***	0.001039
4	Dhar	12,22,814	***56***	0.004580
5	Betul	6,67,018	***16***	0.002399
6	Khargone (West Nimar)	7,30,169	***46***	0.006300
7	Khandwa (East Nimar)	4,59,122	***30***	0.006534
8	Burhanpur	2,30,095	***8***	0.003477
9	Ratlam	4,09,865	***1***	0.000244
10	Harda	1,59,678	***2***	0.001253
	Total	**63,81,362**	***478***	**0.007491**

Table 1.3 shows that IGNOU programmes is considerably more popular in Tribal area of Alirajpur District where 248 Schedule tribe students has taken admission out of 478 which is approximately 51.88%. The existing Learner Support Services Centers (LSCs) are not able to attract good enrolment which indicates very poor level of sensitization and awareness of IGNOU Programmes. We therefore feel that a lot needs to be done to sensitize the communities in these areas. We feel that there is a great need **to use out of box approaches** to sensitize these communities and give them academic support right at their villages. The target population is highly vulnerable and cannot comprehend their problems. We need to approach them right at their doorsteps, inform them about the livelihoods opportunities linked to our programmes and risks attached to these options. They cannot be expected to travel long distances, spending their hard earned money, to approach our Support Services Centers mostly located in urban locations.

There has been several initiatives has been taken by IGNOU Regional Centre Bhopal. The major focus of the programme was to develop direct rapport with rural and tribal communities, to involve their representative organizations and give them personal guidance through face to face interaction in real life setting. For example Regional Centre Bhopal started a new initiative of **'*Khula Munch*'** under which face to face meetings with group of community members are organized. The

Regional Centre's officials make presentations on the programmes and policies of the university which is followed by initiative interaction and free discussion about the issues involved. Such open session has proved to be extremely useful for confidence building with disadvantaged communities. Similarly a range of new initiatives have been taken by IGNOU in Madhya Pradesh by way of involving community based organizations for sensitizations among rural, tribal and slum dwellers. IGNOU recently initiated another innovative initiative of Mobile e Learning Terminal (MeLT) which has been provided at selected Regional Centres and Regional Centre Bhopal is one of them. The initiative was launched by the University to enhance the reach of their support services to remote, tribal and rural areas. These mobile learning vans are equipped with computers, power back systems and multimedia projection system.

Table No. 1.4
Enrollment share of Schedule Tribal in 2016-17

Sl. No.	Enrollment	January-2016	July-2016	January-2017	Total
1.	Total Enrollment	2,155	3,681	3,838	9,674
2.	ST Enrollment	152	302	345	799
3.	Percentage(%) of ST	7.05%	8.20%	8.99%	8.26%

An attempt has been made to find out the percentage of enrollment share of schedule tribe population (Table 1.3). The data indicates that total enrollment of January, 2016 session total enrollment was 2155 only 152 students from ST population and percentage wise its only 7.05%. In July, 2016 session total enrollment was 3681 and only 302 students from ST population and percentage wise its only 8.20%. In July, 2016 session number wise ST students were almost double in comparison with January, 2016 session but percentage wise with its not a remarkable growth. In January, 2017 session total enrollment was 3838 and only 345 students from ST population and percentage wise its only 8.99%. In this session (January, 2017 session) number wise ST students are increasing in comparison with July, 2016 session but percentage (0.79% enhanced) wise with its a remarkable growth. Though the data indicates the enrollment status is slowly increasing in session wise but it required special attempt to bring this group in to mainstream of education.

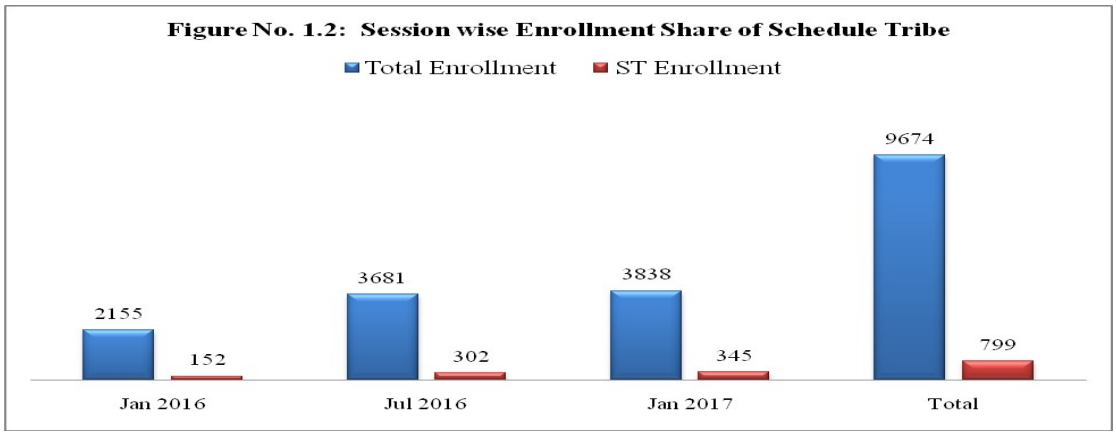

Table No. 4 describes about the session wise (2016-2017) enrollment share of Schedule tribe students. The table no. 1.3 & figure no. 1.2 clearly reflects that Enrollment of schedule tribe has increased in July, 2016 session (302) in comparative to January, 2016 session (152), it's almost double i.e. sharp increase in July, 2016 session (302) & January, 2017 session (345). There is a strong reason behind it, the reason is, if we remember notification no. IG/PDD/2016/353, dated: 12th May, 2016 vide which the Planning and Development Division of University was recommended Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme under the SCSP and TCP Plan grant for the financial year 2016-17 by way of fee exemption of programme for students belonging to SC/ST Category freshly registered in BDP (B.A, B.Com, B.Sc) BSW, BTS & BSW programme and re-registered students in BDP (B.A, B.Com, B.SC) BSW, BTS and BCA who were registered in July, 2015 & January, 2016 session. The scheme of fee exemption was introduce in the pilot basis initially limited to July-16 and January, 2017 two batches of under graduate students as referred above. Regional Centre did wide publicity of the scheme through our study centre representative, electronic media, print media, SMS service and organized awareness programme in various area of the above mentioned tribal dominated districts under its jurisdiction, as a result in July, 2016 & January, 2017 session enrollment share of schedule tribe students becomes double.

As all of us we know many schools in tribal areas suffer from high dropout rates. Children either never enroll or attend for the first three to four years of primary school, only to lapse into illiteracy later. Very high percentage of population among tribal communities attained the primary schooling rather than higher level of education. The main factor responsible for low level of literacy and educational backwardness among tribal communities are acute indigence of the tribal people, want of positive motivation for education, lack of adequate educational infrastructure in their neighborhood, and deficient in communication system. Besides these factors, a large proportion of the poorer tribal children, on account of the rising cost of the schooling and economic burden cannot afford to benefit from them. IGNOU offer a bridge programme is called Bachelor Preparatory Programme (BPP). The eligibility for this programme is candidate must have attained 18 years and no formal education required, i.e. candidate may be school dropout or literate. Medium of instructions is English, Hindi and other seven regional languages. Duration of the programme in minimum six months and maximum 2 years, the programme fee is Rs. 1000/-. The programme having 3 courses (preparatory course for general Mathematics, Commerce & Social Sciences) the learner has to choose any two of these courses. The beauty of the programme is after completion of the programme get chance to enroll in graduation programme (B.A, B.Com, BTS, BSW only) in IGNOU only and after completion of three year graduation programme learner may apply master degree programme in any university across India and abroad. Another programme is Computer Literacy Programme (CLP), eligibility of the programme is candidate must have completed 10+2. The

programme basically teaches basic computer literacy and use.

In the January, 2017 session IGNOU has offered free-of-cost admission opportunity in BPP & CLP Programme to Bunkar community as a special initiative with Ministry of Textile, Government of India. Regional Centre did wide publicity of the scheme through our study centre representative & use of ICT (electronic media, print media, SMS service) and organized awareness programme to disseminate the information in various area of where bunker community was dominated and few of the tribal districts also have largest number bunker community are resides under its jurisdiction, as a result in January, 2017 session enrollment of BPP & CLP programme enhanced remarkably. Regional Centre has decides to give these communities academic support services right at their doorsteps or in their villages with the help approved academic counselors and proper use of Mobile e Learning Terminal (MeLT) van. Regional Centre prepared the academic counseling schedule as per prescribed norms for the March and April and sending one officer along with academic counseling and MeLT Van. Their economic condition is not so good therefore they cannot be expected to travel long distances, spending their hard earned money. At the same time the use of MeLT van and trained/experienced subject expert may bring qualitative changes in their knowledge and education.

Conclusion :

Most tribe tends to use their children for ancillary services that would bring in some added income for their staving families. It is therefore important to examine the policies and programmes being followed and their effective implementation in the state, as well as to undertake special studies to identify the socio-cultural factors inhibiting faster progress in literacy and education among the scheduled tribes communities and constraints relating to infrastructure and funds on education, to make satisfactory progress in increasing literacy among these population groups. The tribal dropout rate is extremely high relative to the mainstream population. Majority of the tribal parents are not showing much interest to send their children to the school due to economic reasons and they considered their children as economic asset to them. The main reason is that the school timing and the working hour of the tribals normally clash and since the tribal children help support their parents in earning, they either do not enroll in the school or dropout if enrolled. Here ODL system plays very important role to penetrate higher education in the tribal dominate districts or belt. Intervention of ICT i.e. use of MeLT van will increase the interest of tribal population to access higher education available at their door step. But we should be very careful to selection of academic counselors for tribal dominated districts/belts. We should engage the person as academic counselors who should be fulfilling the university eligibility norms and he/she must be belongs from tribal community itself and having vast knowledge of area as well as must speaks tribal language (local dialect). If study materials are supplied to them in their language or dialects then of course the enrollment will go high and the ODL systems will gain more popularity in comparison to conventional system. After

67 years of independence our tribal hamlets are still remaining in their original stage i.e. lack of basic amenities, lack of health facility, lack of communication facility, lack of clean drinking water, lack of electricity supply As all of us know that tribal area are running with lack of communication, electricity supply. If university can make a pilot basis experiment to give support services to these people with fully ICT equipped MeLT van with facility of broadband and power back up facility to help them learn without any interruption (electricity cut, poor broadband etc). To attract the tribal population university should develop more certificate and diploma programme related to their day to day activities like on tribal sports and games like archery, identification of plants of medicinal value, crafts art and culture, folk dance and folk songs, folk paintings, forestry, horticulture, dairying, veterinary sciences etc. Unless the educational level and participation tribal not increase in higher education than the development of nation will bound to be slow and will not give the significance growth in the level of education.

REFERENCES

- Bhattacharya, I. & Sharma, K. (2007), 'India in the knowledge economy – an electronic paradigm', International Journal of Educational Management Vol. 21 No. 6, Pp. 543- 568.
- Garg, S. Venkaiah, V. Puranik, C. & Panda, S. (Ed) 2006. 'Four Decades of Distance Education in India: Reflections on Policy and Practice', New Delhi:Viva Books Private Ltd.
- McGorry, S. Y. (2002), 'Online, but on target? Internet-based MBA courses: A case study', The Internet and Higher Education 5(2), 167-175.
- Mooij, T. (2007), 'Design of educational and ICT conditions to integrate differences in learning: Contextual learning theory and a first transformation step in early education', Computers in Human Behavior 23(3), 1499-1530.
- Pedro, F. (2001). Transforming On-campus Education: promise and peril of information technology in traditional universities, European Journal of Education 36(2), 175–187.
- Pegu, U. (2014). Information and Communication Technology in Higher Education in India: Challenges and Opportunities, International Journal of Information and Computation Technology 4 (5), 513-518.
- Schmidtlein, F.A. and Taylor, A.L. (2000).Identifying costs of instructional technology in higher education, Tertiary Education and Management 6(4), 289–304.
- Sonowal, C. J. 2008. Indian Tribes and Issue of Social Inclusion and Exclusion, *Studies of Tribes Tribals*, Vol. 6, No. 2, 123 – 124.
- Tiwari, K.S.2011.Interview published in India Education Review available at http://www.indiaeducationreview.com / interview/ dr-ks-tiwari-regional-director-regional-centre-bhopal-ignou